uxj ifj"kn ikoVk lkfgc] ftyk fljekSj] fgekpy izns'k ds ys[kkvksa ij

vads{k.k o fujh{k.k izfrosnuA

vof/k 4@2007 ls 3@2010

Hkkx&,d

1 xr vads{k.k %& गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों की नवीनतम स्थिति निम्न प्रकार से थी :–

¼d½ vads{k.k izfrosnu vof/k 7@62 ls 12@64 %&

1 पैरा 7 अनिर्णीत

¼[k½ vads{k.k izfrosnu vof/k 1@65 ls 1@69 %&

1 पैरा 3 अनिर्णीत

¼x½ vads{k.k izfrosnu vof/k 3@69 ls 11@70 %&

1 पैरा 7 अनिर्णीत

¼?k½ vads{k.k izfrosnu vof/k 12@70 ls 08@72 %&

1 पैरा 3 अनिर्णीत

2 पैरा 4 अनिर्णीत

¼³½ vads{k.k izfrosnu vof/k 9@72 ls 3@77 %&

1 पैरा 9(2) अनिर्णीत

2 पैरा 15 अनिर्णीत

3 पैरा 16(1) अनिर्णीत

4 पैरा 17 व 19 अनिर्णीत

¼Pk½ vkd{k.k ifrosnu vof/k 4@77 ls 3@82 ½&

1	पैरा 6 व 7	अनिर्णीत
2	पैरा 8(ए)	अनिर्णीत
3	पैरा 8(बी)	अनिर्णीत
4	पैरा 9(ए)	अनिर्णीत
5	पैरा 9(बी)	अनिर्णीत
6	पैरा 9(डी)	अनिर्णीत
7	पैरा 10	अनिर्णीत
8	पैरा 23	अनिर्णीत
9	पैरा 41	अनिर्णीत
10	पैरा 42	अनिर्णीत
11	पैरा 47 व 48	अनिर्णीत
12	पैरा 53 व 56	अनिर्णीत
13	पैरा 62,65,66, व 69	अनिर्णीत
14	पैरा 73,74 व 77	अनिर्णीत
15	पैरा 78(एफ)(1)(2)	अनिर्णीत
16	पैरा 80 व 83	अनिर्णीत
17	पैरा 92,93,94,95 व 97	अनिर्णीत

¼N½ vd{k.k ifronu vof/k 4@82 l 3@84 ½&

1	पैरा 6(ए)	अनिर्णीत
2	पैरा 16(ए)(सी)(एल)	अनिर्णीत
3	पैरा 19(2) से 19(27) तक	अनिर्णीत
4	पैरा 21	अनिर्णीत

¼t½ vd{k.k ifronu vof/k 4@84 l 3@87 ½&

1	पैरा 5,6,7	अनिर्णीत
2	पैरा 9,10,11,13,14(ए)17,24,25	अनिर्णीत
3	पैरा 26(10)(16)(22)	अनिर्णीत
4	पैरा 27(1)(2)(4)(5)(8वी)(8सी)	अनिर्णीत
5	पैरा 27(10) से 27(21) तक 27(24) से 27(27) तक	अनिर्णीत
6	पैरा 31	अनिर्णीत

¼>½ vd{k.k ifronu vof/k 4@87 l 3@89 ½&

1	पैरा 4(ग)	अनिर्णीत
2	पैरा 19,21	अनिर्णीत
3	पैरा 23(1)(2)	अनिर्णीत
4	पैरा 24	अंषिक अनिर्णीत
5	पैरा 25(2)	अनिर्णीत
6	पैरा 28,29,30,31	अनिर्णीत

¼¥½ vid{k.k ifronu vof/k 4@89 ls 3@91 ¾&

1	पैरा 5(क)(1)	अंषिक अनिर्णीत
2	पैरा 5(घ)	अनिर्णीत
3	पैरा 5(ङ)	अनिर्णीत
4	पैरा 6(ग)	अंषिक अनिर्णीत
5	पैरा 6(घ)	अंषिक अनिर्णीत
6	पैरा 6(ङ)	अनिर्णीत
7	पैरा 7(1)(20)(30)	अनिर्णीत
8	पैरा 8,9(1)(2)	अनिर्णीत
9	पैरा 10	अनिर्णीत
10	पैरा 11(घ)(1)	अनिर्णीत
	पैरा 11(छ)(1) व (2)	अनिर्णीत
	पैरा 11(ङ)(3)	अनिर्णीत
	पैरा 11(3)(ग)	अनिर्णीत
11	पैरा 14(1)(2)(3)	अनिर्णीत
12	पैरा 14(4) (वार्ड नं0 2 से 11)	अनिर्णीत
13	पैरा 17(ख)(1 से 4)	अनिर्णीत
14	पैरा 21(ख)	अनिर्णीत
15	पैरा 22(क)(ख)	अनिर्णीत

16	पैरा 23,24 (क से च)	अनिर्णीत
17	पैरा 25(1 से 9)	अनिर्णीत
18	पैरा 28(क)(ख)(1), 28(ख)(2)	अनिर्णीत
19	पैरा 28(ग), 29,30	अनिर्णीत
20	पैरा 25(11)	अनिर्णीत
21	पैरा 25(13 से 19)	अनिर्णीत
22	पैरा 25(21 से 30)	अनिर्णीत
23	पैरा 26,27(क)(ख)	अनिर्णीत
24	पैरा 33	अनिर्णीत
25	पैरा 34(क)	अनिर्णीत
26	पैरा 34(ख)	अनिर्णीत
27	पैरा 35(2)	अनिर्णीत
28	पैरा 35(3)	अनिर्णीत

¼V½ vdk{k.k ifronu vof/k 4@91 ls 3@99 ½&

1	पैरा 5	अनिर्णीत
2	पैरा 6(ग)	अनिर्णीत
3	पैरा 7	अनिर्णीत
4	पैरा 10	अनिर्णीत

5	पैरा 13	अनिर्णीत
6	पैरा 16(क)	अनिर्णीत
7	पैरा 17(क)(ख)	अनिर्णीत
8	पैरा 18	अनिर्णीत
9	पैरा 22(क)	अनिर्णीत
10	पैरा 22(ग)(ix)	अनिर्णीत
	पैरा 22(ग)(xiii)	अनिर्णीत
	पैरा 22(ग)(xiv)	अनिर्णीत
	पैरा 22(ग)(xv)	अनिर्णीत
	पैरा 22(घ)	अनिर्णीत
	पैरा 22(ङ)	अनिर्णीत
11	पैरा 23	अनिर्णीत
12	पैरा 24(क)(ग)	अनिर्णीत
13	पैरा 26(क)(i)	अनिर्णीत
14	पैरा 27(क)(ख)(ग)(घ)(ङ)	अनिर्णीत
	पैरा 27(ज)(झ)	अनिर्णीत
15	पैरा 28	अनिर्णीत
16	पैरा 29(ग)	अनिर्णीत
17	पैरा 30	अनिर्णीत

18	पैरा 31(च)	अनिर्णीत
19	पैरा 32(ग)	अनिर्णीत
20	पैरा 34(ग)	अनिर्णीत
21	पैरा 34(ञ)	अनिर्णीत
22	पैरा 34(ढ)	अनिर्णीत
23	पैरा 34(ण)	अनिर्णीत
24	पैरा 34(ख)	अनिर्णीत
25	पैरा 34(ङ)	अनिर्णीत
26	पैरा 34(च)	अनिर्णीत
27	पैरा 34(छ)	अनिर्णीत

¼B½ vkd{k.k ifrosnu vof/k 4@99 ls 3@2007 ½&

1	पैरा 1	अनिर्णीत
2	पैरा 2	अनिर्णीत
3	पैरा 3	अनिर्णीत
4	पैरा 4(ए)(1)	अनिर्णीत
5	पैरा 4(बी)	अनिर्णीत
6	पैरा 4(सी)(1)	अनिर्णीत
7	पैरा 4(बी)(2)	अनिर्णीत

8	पैरा 4(बी)(3)	अनिर्णीत
9	पैरा 4(बी)(4)	अनिर्णीत
10	पैरा 4(बी)(5)	अनिर्णीत
11	पैरा 4(सी)(1)	अनिर्णीत
12	पैरा 4(सी)(2)	अनिर्णीत
13	पैरा 4(सी)(3)	अनिर्णीत
14	पैरा 4(सी)(4)	अनिर्णीत
15	पैरा 4(सी)(5)	अनिर्णीत
16	पैरा 4(सी)(6)	अनिर्णीत
17	पैरा 4(सी)(7)(1)	अनिर्णीत
18	पैरा 4(सी)(8)(1)	अनिर्णीत
19	पैरा 4(सी)(9)	अनिर्णीत
20	पैरा 4(सी)(10)	अनिर्णीत
21	पैरा 4(डी)	अनिर्णीत
22	पैरा 4(ई)	अनिर्णीत
23	पैरा 4(ई)(1)	अनिर्णीत
24	पैरा 4(ई)(2)	अनिर्णीत
25	पैरा 4(ई)(3)	अनिर्णीत
26	पैरा 4(ई)(4)	अनिर्णीत

27	पैरा 4(एफ)(1)	अनिर्णीत
28	पैरा 4(एफ)(2)	अनिर्णीत
29	पैरा 4(एफ)(3)	अनिर्णीत
30	पैरा 4(एफ)(4)	अनिर्णीत
31	पैरा 4(एफ)(5)	अनिर्णीत
32	पैरा 4(एफ)(6)	अनिर्णीत
33	पैरा 4(एफ)(7)	अनिर्णीत
34	पैरा 4(एफ)(8)	अनिर्णीत
35	पैरा 4(एफ)(9)	अनिर्णीत
36	पैरा 5(1)	अनिर्णीत
37	पैरा 6(1)	अनिर्णीत
38	पैरा 6(2)	अनिर्णीत
39	पैरा 6(3)	अनिर्णीत
40	पैरा 6(4)	अनिर्णीत
41	पैरा 6(5)	अनिर्णीत
42	पैरा 6(6)	अनिर्णीत
43	पैरा 6(7)	अनिर्णीत
44	पैरा 6(8)	अनिर्णीत
45	पैरा 6(9)	अनिर्णीत

46	पैरा 6(10)	अनिर्णीत
47	पैरा 7(1)	अनिर्णीत
48	पैरा 7(2)	अनिर्णीत
49	पैरा 7(3)(1)	अनिर्णीत
50	पैरा 7(3)(2)	अनिर्णीत
51	पैरा 7(3)(3)	अनिर्णीत
52	पैरा 7(3)(4)	अनिर्णीत
53	पैरा 7(3)(5)	अनिर्णीत
54	पैरा 7(3)(6)	अनिर्णीत
55	पैरा 7(3)(7)	अनिर्णीत
56	पैरा 7(3)(8)	अनिर्णीत
57	पैरा 7(3)(9)	अनिर्णीत
58	पैरा 7(3)(10)	अनिर्णीत
59	पैरा 8(1)	अनिर्णीत
60	पैरा 8.2(1)	अनिर्णीत
61	पैरा 8.2(2)	अनिर्णीत
62	पैरा 8.2(3)	अनिर्णीत
63	पैरा 9(1)	अनिर्णीत
64	पैरा 9(2)	अनिर्णीत
65	पैरा 10	अनिर्णीत

Hkkx&nks

2 orZeku vads{k.k %&

अवधि 4/2007 से 3/2010 के लेखाओं का वर्तमान अंकेक्षण जिसके परिणाम अनुवर्ती पैरों में दिए गए हैं, दिनांक 29.3.2010 से 24.05.2010 तक बलदेव राज शर्मा, सहायक नियन्त्रक (ले0प0) तथा रविन्द्र सिंह, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा किया गया। आय की विस्तृत जाँच के लिए मास 4/07, 10/2008 व 10/2009 व व्यय के लिए मास 2/2008, 3/2009 व 2/2010 का चयन किया गया।

3 vads{k.k 'kqYd %&

अवधि 4/2007 से 3/2010 के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹44,600.00 बना। कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद को उपरोक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि रेखांकित बैंक ड्राफ्ट द्वारा निदेषक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश षिमला–171009 के नाम प्रेषित करने का अंकेक्षण अधियाचना संख्या 7, दिनांक 24.05.2010 द्वारा अनुरोध किया गया।

4 foÙkh; fLFkfr %&

अवधि 4/2007 से 3/2010 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति का विवरण कार्यकारी अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट ''क'' पर दिया गया है तथा इसका बैंक से समाधान साथ संलग्न है। दिनांक 31.03.2010 को बैंक निवेश की गई राशियों की विवरणी अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट ''ख'' पर संलग्न है।

5 vuqnku %&

अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार प्राप्तियों व व्यय के अनुदानों की विवरणी अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट ''ग'' पर संलग्न है। इससे निम्नलिखित अनियमिततायें पाई गई।

¼d½ Lohd`fr i= vads{k.k esa miyC/k u djokuk %&

इन अनुदानों के विरूद्ध स्वीकृति पत्र अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं करवाए गए जोकि आगामी अंकेक्षण में पडताल हेतु उपलब्ध करवाये जाएं।

¼[k½ vunkuk dk mi;kx u djuk %&

अनुदानों की विवरणी के अवलोकन पर पाया गया कि वर्ष 2008–2009 व 2009–2010 में एस0एफ0जी0 के अनुदानों के विरूद्ध कोई व्यय नहीं किया गया। इसी प्रकार पृष्ठ संख्या 2 व 3 पर वर्ष 2007–2008 में क्रम संख्या 5, वर्ष 2008–2009 में क्रम संख्या 1,2,3,4,7,8 क्रम संख्या 11, क्रम संख्या 13 से 17 तथा वर्ष 2009–2010 में क्रम संख्या 1 से 7 के विरूद्ध कोई व्यय नहीं दर्षाया गया। इन अनुदानों के उपयोग न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा इन राशियों को स्वीकृति पत्र की शर्तों के अनुसार या तो उपयोग किया जाए अन्यथा जिस स्त्रोत से प्राप्त हुई थी, को वापिस लौटाया जाए।

¼x½ vunkuk dk vkf'kd :i l mi;kx %&

अनुदानों की विवरणी के पृष्ठ संख्या 2 व 3 पर वर्ष 2007–2008 में क्रम संख्या 1 से 4, 2008–2009 में क्रम संख्या 5, 6, 9, 10 व 12 के अनुदान आंषिक रूप से उपयोग किए गए जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा इन शेष अनुदानों का पूर्ण रूप से स्वीकृति पत्र की शर्तों के अनुसार उपयोग किया जाए, अन्यथा यह राशियां सम्बन्धित विभागों को वापिस की जाएं। अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्षाई जाए।

6 __.k

__.k dk mi;kx u djuk %&

अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार जिसका विवरण अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट ''छ'' पर दिया गया है, नगरपरिषद द्वारा दिनांक 25.09.2007 को ₹2,50,000.00 की राशि दुकानों के निर्माण हेतु ऋण के रूप में अनुसुचित जाति, जनजाति निगम से ली गई। लेकिन न तो आज तक इस ऋण का उपयोग किया गया तथा न ही इसे लौटाया गया जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए।

7 vk;

¼d½ cid e fuo'k dk le; ij u Hkukus d dkj.k C;kt gkfu %&

निवेश रजिस्टर के अवलोकन पर पाया गया कि पैन्षन खाते में से हिमाचल प्रदेश कोप्रेटिव बैंक मे दिनांक 09.04.2006 को 3 वर्ष के लिए ₹17,11,500.00 की राशि 6.75% ब्याज की दर पर निवेश की गई, जिसका परिपक्वता मूल्य 09.04.2009 को ₹20,92,126.00 था। परन्तु उक्त निवेश को परिपक्वता तिथि की अपेक्षा दिनांक 04.06.2009 को विलम्ब से भुनाया गया तथा बैंक द्वारा

परिपक्वता की तिथि से भुनाने की तिथि तक बैंक द्वारा कोई ब्याज नहीं दिया गया। जबकि विलम्ब अवधि के लिए बैंक द्वारा निर्धारित दर से ब्याज प्राप्त किया जाना था। विलम्ब से भुनाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा इसको समय पर भुनाने तथा पुनः निवेश पर जो ब्याज की राशि प्राप्त होनी थी, की वसूली सम्बन्धित कर्मचारी/अधिकारी से करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाएं।

¼[k½ cd fuo'k l ₹2]621-00 dh de ikfIr %&

निवेश के रजिस्टर के अवलोकन पर पाया गया कि ग्रेच्यूटी खाते में से यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया मे दिनांक 07.04.2007 को 9.5% ब्याज की दर पर ₹2,53,173.00 की राशि का निवेश किया गया जिसकी परिपक्वता मूल्य दिनांक 19.08.2008 की ₹2,87,843.00 थी। परन्तु बैंक से उक्त अवधि मे निवेश को भुनाने पर ₹2,85,222.00 प्राप्त हुए। इस प्रकार ₹2,621.00 की राशि कम प्राप्त हुई जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए। अन्यथा कम ब्याज का प्रकरण सम्बन्धित बैंक से उठाकर कम प्राप्त ब्याज की राशि ₹2,621.00 की प्राप्ति सुनिष्चित की जाए।

¼x½ ndkuk dk fdjk;k o fjD'kk ykblUl 'kYd dh ₹28]36]273-00 dh olyh u djuk %&

अंकेक्षण की उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.03.2010 को दुकानों के किराया की ₹27,86,038.00 तथा रिक्षा लाइसैन्स शुल्क की ₹50,235.00 राशि वसूली हेतु शेष थी, जोकि चिन्ताजनक विषय है। नगर परिषद द्वारा उक्त वसूली हेतु कोई प्रयास नहीं किए जा रहे थे। अवधि 14.07.2007 से 31.03.2010 तक रिक्षा लाइसैन्स शुल्क की वसूली शुन्य थी।

नगर परिषद द्वारा उक्त वसूली हेतु ठोस कार्यवाही न करने बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा इस सन्दर्भ में शीघ्र कार्यवाही करके इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

¼?k½ xgdj d cdk; dh lpuk miyC/k u djokuk %&

अंकेक्षण कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व कार्यकारी अधिकारी को गृहकर दिनांक 31.03.2010 को बकाया राशि की सूचना अंकेक्षण प्रारम्भ करने पर उपलब्ध करवाने हेतु अंकेक्षण अधियाचना द्वारा अनुरोध किया गया था, लेकिन उपरोक्त सूचना अंकेक्षण समाप्ति तक उपलब्ध नहीं करवाई गई जोकि बहुत ही आपत्तिजनक है। परिणामस्वरूप इस स्त्रोत की 31.03.2010 तक कितनी राशि

वसूली हेतु शेष थी, की पुष्टि नहीं हो सकी। इसका मुख्य कारण अभिलेखों का अनुरक्षण न करना रहा। यह प्रकरण उच्च अधिकारियों के ध्यान में भी आवश्यक कार्यवाही हेतु लाया जाता है।

¼3½ lj dkjh vkokl k dk vfu;fer vkcVu ¼&

अभिलेख के अवलोकन पर पाया गया कि नगर परिषद द्वारा आवासों का आबंटन निम्न गैर कर्मचारियों को किया गया। जोकि आपत्तिजनक ही नहीं अपितु अनियमित भी था। इसके अतिरिक्त यह भी पाया गया कि जो किराया निर्धारित किया गया वह बहुत ही कम था। यदि आवास गैर कर्मचारियों को आबंटित किए जाएं तो इस स्थिति मे विभाग की आवश्यक अनुमति प्राप्त की जाए तथा बाजार भाव किराया निर्धारित किया जाए तथा कम से कम अवधि के लिए अनुबंध पर ही दिया जाए ताकि आवष्यकता पड़ने पर बिना किसी कानूनी कार्यवाही के खाली करवाया जा सके।

edku dk fooj.k	edku ftl s vkcfVr fd;k	ekfld fdjk;k	iLrko la[;k ftl }kjk vkcVu fd;k x;kA
सैट नं0–1	देविन्द्र कौर	500/–	4(19), दिनांक 29.09.07
सैट नं0–II	सुरेश तोमर	500/–	3(30), दिनांक 29.09.07
सैट नं0–VI	किरण बाला	1500/–	17, दिनांक 07.11.09
कमरा	प्रैस क्लब पांवटा साहिब	निषुल्क	11, दिनांक 30.05.09

¼p½ Lor% foÙk ikf"kr ;ktuk d vUrxr cukb xb ndkuk dk vfu;fer vkcVu%&

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर परिषद द्वारा स्वतः वित्त योजना के अन्तर्गत निर्मित निम्न दुकानों का आबंटन किया गया। इन दुकानों के आबंटन मे नीचे दी गई अनियमिताएं पाई गई :–

(1) दुकानों की नीलामी हेतु विज्ञापन दिनांक 17.08.07 को जारी किया गया, जबकि नीलामी दिनांक 16.08.07 को इससे पूर्व की गई। नीलामी के बाद की तिथि में नीलामी नोटिस का औचित्य स्पष्ट किया जाए।

(2) नीलामी हेतु विज्ञापन समाचार पत्रों में नहीं दिया गया जोकि अनुदेषों के अनुसार आवष्यक था जिसका औचित्य स्पष्ट करें।

(3) नीलामी हेतु न्यूनतम किराया सम्बन्धित विभाग से निर्धारित नहीं करवाया गया जोकि नियमानुसार आवष्यक था जिसका औचित्य भी स्पष्ट किया जाए। अन्यथा इसके किराये का निर्धारण करवाया जाए तथा यदि कम दर पर आबंटन किया गया हो तो इसकी हानि की विभागीय गणना करके सम्बन्धित से इसकी वसूली की जाए।

uke ftl ndku vkcfVr dh xbl	ndku uEcj	vkcVu dh frfFk	ekfld fdjk;k ¼₹½	fuekZ.k grq yh xbZ jkf'k ¼₹½
नीषु गुप्ता	10	01.08.09	1000/–	1,00,000/–
प्रदीप सैनी	11	01.05.09	600/–	50,000/–
रोहित बंसल	12	01.08.09	600/–	50,000/–

¼N½ jSgu clsjk Hkou dh vfu;fer uhykeh o ₹26]103-00 ekfld fdjk;s dk C;kt dh olwyh u djuk ¼&

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर परिषद द्वारा दिनांक 09.01.07 को श्री सुमित सिंह को खुली बोली द्वारा ₹11,542.00 प्रति मास किराये की दर पर रैहन बसेरा भवन की पट्टे पर नीलामी की गई। नीलामी में नीचे दी गई अनियमिततायें पाई गई :–

(1) रैहन बसेरा की नीलामी हेतु सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए।

(2) रैहन बसेरा नीलामी का विज्ञापन समाचार पत्रों में नहीं दिया गया, जोकि अनुदेषों के अनुसार आवष्यक था जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए।

(3) नीलामी से पूर्व सक्षम प्राधिकारी से रिज़र्व प्राईस/न्यूनतम पट्टा राशि का निर्धारण नहीं करवाया गया।

(4) नीलामी की शर्त 10 के अनुसार कमरों का किराया नगर परिषद द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिए था, जोकि नहीं किया गया, जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए।

(5) अनुबन्ध की शर्त के अनुसार प्रतिमाह किराया भुगतान न करने की स्थिति में 2 प्रतिषत प्रतिमाह मासिक पट्टा राशि पर ब्याज की वसूली की जानी अपेक्षित थी। परन्तु पट्टा राशि का भुगतान नियमित रूप से न किए जाने के कारण निम्न विवरणानुसार ब्याज की ₹26,103.00 की वसूली अभी तक नहीं की गई, जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए। अन्यथा यह राशि सम्बन्धित से वसूल करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

ekg ftldh olwyh nsjh ls dh xbZ	ekfld fdjk;k ¼₹½	fdjk;k izkfIr dh frfFk	foyEc vof/k	C;kt dh jkf'k 2 izfr'kr ekg dh nj ls ¼₹½
4/2008	11542/–	28.08.08	4 मास	924/–
5/2008	11542/–	14.11.08	6 मास	1386/–
6/2008	11542/–	02.02.09	8 मास	1848/–
7/2008	11542/–	02.02.09	7 मास	1617/–
8/2008	11542/–	02.02.09	6 मास	1386/–
9/2008	11542/–	07.05.09	8 मास	1848/–
10/2008	11542/–	17.06.09	8 मास	1848/–
11/2008	11542/–	22.07.09	8 मास	1848/–
12/2008	11542/–	29.08.09	8 मास	1848/–
01/2009	11542/–	31.08.09	7 मास	1617/–
02/2009	11542/–	18.09.09	7 मास	1617/–

03/2009	11542/—	26.09.09	6 मास	1386/—
04/2009	11542/—	01.10.09	5 मास	1155/—
05/2009	11542/—	04.11.09	6 मास	1386/—
06/2009	11542/—	21.11.09	5 मास	1155/—
07/2009	11542/—	21.11.09	4 मास	924/—
08/2009	11542/—	16.12.09	4 मास	924/—
09/2009	11542/—	16.12.09	3 मास	693/—
10/2009	11542/—	16.12.09	2 मास	462/—
11/2009	11542/—	16.12.09	1 मास	231/—
			dqy ;ksx	₹26]103-00

¼t½ Hkou uD'kk ikfjr 'kqYd e ₹71]751-00 dh de olwyh %&

हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या टी0सी0पी0ए0(3)1/2005, दिनांक 26.02.07 द्वारा भवनों के नक्षे पारित करने हेतु शुल्क में वृद्धि की गई थी। परन्तु नगर परिषद द्वारा निम्न प्रकरणों में उपरोक्त शुल्क बढ़ी हुई दर की अपेक्षा पूर्व दर से ही वसूल किया गया। परिणामस्वरूप ₹70,751 की कम वसूली की गई जिसका औचित्य अनुदेषों के दृष्टिगत स्पष्ट किया जाए, अन्यथा उपरोक्त कम वसूली तथा अन्य ऐसे ही प्रकरणों की विभागीय जाँच करके कम वसूली को सम्बन्धित से वसूल करके अनुपालना से इस विभाग को सुचित किया जाए।

uke	ud'kk ikfIr dh frfFk	lykV {ks= ¼Sqm½	fu/kkZfjr nj ikfIr ¼Sqm½	ikfjr {ks= ¼Sqm½	dqy ikfIr ;ksX; jkf'k	ikIr jkf'k ¼₹½	olwy ;ksX; jkf'k ¼₹½	fVIi.kh
विनोद कुमार	10.04.07	575.25	30	384	11520	3840	7680	—

प्रदीप कुमार	10.04.07	233	20	262	5240	2620	2620	–
परवेश	11.04.07	254.98	30	300	9000	3000	6000	–
राजेन्द्र	12.04.07	387.20	60	480	28800	9600	19200	व्यवसायिक
सोम चन्द	16.04.07	343.60	30	136	4080	1360	2720	–
प्रवेश कुमार	16.04.07	187.70	20	102	2040	510	1530	–
माया रानी	17.04.07	119.17	6	90	540	450	90	–
मोनिका	18.04.07	231.24	20	96	1920	960	960	–
सन्तोष	20.04.07	153.12	20	152	3040	760	2280	–
गुविन्द्र लाल	23.04.07	165.75	20	60	1200	300	900	व्यवसायिक
षिव शंकर	23.04.07	170	20	104	2080	520	1560	–
राकेश कुमार	23.04.07	2182.25	60	176	10560	3520	7040	–
देव राज	23.04.07	1110.875	30 60	212.24 121.40	6367 7284	4580	9071	Residential & Commercial
दाल सिंह	24.04.07	167.39	60	170	10200	3400	6800	–
निरमा देवी	24.04.07	196	20	112	2240	560	1680	–
रधुवीर	30.04.07	194.84	20	108	2160	540	1620	–
सुषील कुमार	11.04.07	–	–	–	–	–	–	अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए
गुरदास	12.04.07	–	–	–	–	–	–	–यथोपरि–

त्रिलोचन	20.04.07	—	—	—	—	—	—	—यथोपरि—
रनवीर सिंह	27.04.07	—	—	—	—	—	—	—यथोपरि—
तेजवीर सिंह	30.04.07	—	—	—	—	—	—	—यथोपरि—
				dqy olwyh ;kX; jkf'k			₹71751-00	

¼>½ uxj ifj"kn dh nqdkuks dk vfu;fer vkcaVu ½&

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर परिषद द्वारा निम्न खाली पड़ी दुकानों का आबंटन किया गया, इसमें नीचे दी गई अनियमितताएं पाई गई :—

uke ftls nqdku vkcafVr dh xbZ	nqdku la[;k	uhykeh@vkcaVu dh frfFk	ekfld fdjk;k	fVIi.kh@fooj.k
दलीप सिंह	133	23.06.07	1300/—	खुली बोली द्वारा नीलामी की गई।
रंगी लाल शर्मा	84	01.09.08	800/—	कार्यकारी अधिकारी द्वारा ही आबंटन किया गया।
अबु खान	13	30.07.08	1050/—	खुली बोली द्वारा नीलामी की गई।
भुट्टिको लिमिटिड	165	01.11.07	1500/—	प्रस्ताव संख्या 3(9), दिनांक 29.09.07 द्वारा आबंटन किया गया।

(1) दुकानों के आबंटन हेतु विज्ञापन समाचार पत्रों में प्रकाषित नहीं किया गया, जोकि नियमानुसार आवष्यक था ताकि इसमें अधिक प्रतिस्पर्धा होने के कारण दुकानें अधिक किराये पर आबंटित की जाती, जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए।

(2) दुकानों के आबंटन हेतु बाजार मूल्य के आधार पर न्यूनतम किराया निर्धारित नहीं किया गया, जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए। अन्यथा इसके किराये का निर्धारण करवाकर यदि

कम दर पर दुकानों का आबंटन किया गया हो तो कम लिए गए किराये की विभागीय गणना करके हुई हानि की सम्बन्धित से वसूली की जाए।

(3) दुकान नम्बर 84 व दुकान नम्बर 165 के लिए नीलामी नहीं रखी गईं। दुकान नम्बर 84 केवल कार्यकारी अधिकारी के आदेश पर आबंटित की गई। जबकि दुकान नम्बर 165 नगर परिषद द्वारा प्रस्ताव संख्या 3(9), दिनांक 29.09.07 द्वारा आबंटित की गई। इन दुकानों का आबंटन नीलामी द्वारा न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा अनाधिकृत रूप से किए गए आबंटन के लिए सम्बन्धित अधिकारी के विरूद्ध उचित कार्यवाही जो सही समझी जाए विभाग द्वारा की जाए, ताकि भविष्य के लिए ऐसे प्रकरणों पर रोक लगाई जा सके।

¼¥½ 'kks VSDl dh :i esa ₹14]740-00 dh de olwyh ¼&

हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या LSG-D(1)-9/94, दिनांक 24.08.2000 के अनुसार नगर परिषद क्षेत्र में ₹50.00 की दर से शो टैक्स निर्धारित किया गया था। परन्तु नगर परिषद के प्रस्ताव संख्या 2, दिनांक 31.10.2002 द्वारा यह शुल्क ₹15.00 प्रति शो निर्धारित किया गया जो कि उक्त आदेषों के अनुसार उचित नहीं था। नगर परिषद क्षेत्र में हीरा विडियो हाल एवं कोमल विडियो हाल हैं। नगर परिषद द्वारा उक्त दर से कम शुल्क लिए जाने परिणामस्वरूप निम्न विवरणानुसार ₹14,740.00 की कम वसूली की गई जिसकी वसूली उचित स्त्रोत से की जाए तथा अन्य ऐसे ही प्रकरणों की विभागीय जाँच करके कम वसूली सम्बन्धित से करके अनुपालना से इस विभाग को सूचित किया जाए।

uke	ekg	ekfld 'kks dh l0	ljdkj }kjk fu/kkfjr nj	dy iklr ;kX; jkf'k	iklr jkf'k	olwyh ;kX; jkf'k
हीरा विडीयो हाल	4/07	60	50/–	3000/–	900/–	2100/–
	10/08	62	50/–	3100/–	930/–	2170/–
	10/09	62	50/–	3100/–	–	3100/–
कोमल विडियो हॉल	4/07	60	50/–	3000/–	900/–	2100/–

10/08	62	50/–	3100/–	930/–	2170/–
10/09	62	50/–	3100/–	–	3100/–
			dqy jkf'k		₹14]740-00

¼V½ fookg iathdj.k 'kqYd esa ₹1]854-00 dh de olwyh ½&

नगर परिषद द्वारा प्रस्ताव संख्या 26(3), दिनांक 07.06.07 को विवाह पंजीकरण शुल्क सामान्य वर्ग के लिए 501/– व बी0पी0एल0 के लिए ₹51/– निर्धारित किया गया। परन्तु निम्न प्रकरणों में यह शुल्क बिल्कुल वसूल नहीं किया गया या कम वसूल किया गया। परिणामस्वरूप ₹1,854.00 की राशि कम वसूल की गई, जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए। अन्यथा उपरोक्त राशि तथा अन्य ऐसे ही प्रकरणों की विभागीय जाँच करके कम वसूली की उचित स्त्रोत से वसूली करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत किया जाए।

uke	jftLVs'ku dh frfFk	ikfIr ;kX; jkf'k	ikIr jkf'k	olwy ;kX; jkf'k
अनुदीप	13.10.08	501/–	50/–	451/–
पुनीत बंसल	16.10.08	501/–	–	501/–
अभिषेक	22.10.08	501/–	50/–	451/–
अदित्य	21.10.09	501/–	50/–	451/–
			olwyh ;kX; jkf'k	₹1]854-00

¼B½ vukifÙk izek.k i= tkjh djus ls ₹800-00 dh de olwyh ½&

नगर परिषद द्वारा बिजली एवं पानी हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किए जाते हैं जिसके एवज़ में मास 4/07 में 10 प्रतिषत प्रति प्रमाण पत्र तथा माह 10/08 व 10/09 में 20/–प्रति कनैकषन की दर निर्धारित की गई। लेकिन निम्न प्रकरणों में इस शुल्क की वसूली नहीं की गई

जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा यह राशि सम्बन्धित से वसूली की जाए तथा अन्य ऐसे ही प्रकरणों की विभागीय जाँच करके हुई हानि की वसूली सम्बन्धित से की जाए।

uke	ekg	fooj.k	N.O.C tkjh djus dh frfFk	olyh ;kX; jkf'k
नित्यन	04/07	बिजली पानी हेतु	07.04.07	20/–
रविन्द्र सिंह	04/07	बिजली हेतु	17.04.07	10/–
श्याम लाल	04/07	बिजली पानी हेतु	16.04.07	20/–
प्रकाश चन्द	04/07	बिजली पानी हेतु	17.04.07	20/–
जगदीश	04/07	बिजली हेतु	25.04.07	10/–
लायक राम	10/08	बिजली पानी हेतु	01.10.08	40/–
अमित गर्ग	10/08	बिजली हेतु	01.10.08	20/–
वोडाफोन कम्पनी	10/08	बिजली हेतु (2नं0)	03.10.08	40/–
तेजपाल	10/08	विवरण नहीं	04.10.08	40/–
मोहम्मद	10/08	बिजली हेतु	04.10.08	20/–
नीरू राम	10/08	बिजली पानी हेतु	10.10.08	40/–
सुरजीत	10/08	बिजली पानी हेतु	10.10.08	40/–
बलजीत सिंह	10/08	बिजली पानी हेतु	10.10.08	40/–
अषोक कुमार	10/08	पानी हेतु	15.10.08	20/–
चन्द्र सिंह	10/08	बिजली पानी हेतु	15.10.08	40/–

बलबिन्द्र	10 / 08	बिजली पानी हेतु	15.10.08	40 / —
बबलु	10 / 08	बिजली पानी हेतु	18.10.08	40 / —
रविन्द्र सिंह	10 / 08	बिजली पानी हेतु	20.10.08	40 / —
हीरा नन्द	10 / 08	बिजली पानी हेतु	22.10.08	40 / —
वीर बाला	10 / 08	बिजली हेतु	23.10.08	20 / —
हरी राम	10 / 08	बिजली पानी हेतु	23.10.08	40 / —
गुरजीत सिंह	10 / 08	बिजली पानी हेतु	23.10.09	40 / —
गुरवीन्द्र कौर	10 / 09	बिजली पानी हेतु	05.10.09	40 / —
एम0एल0 अन्सारी	10 / 09	बिजली पानी हेतु	14.10.09	40 / —
राकेश कुमार	10 / 09	बिजली पानी हेतु	27.10.09	40 / —
			dqy jkf'k	₹800-00

¼M½ xgdj] dkfiax Qhl o O;kikj dj ds vfHkys[kksa dk vuqj{k.k u djuk ½&

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर परिषद द्वारा गृहकर कोपिंग फीस व व्यापार कर के रूप में प्राप्त होने वाली आय से सम्बन्धित अभिलेखों का अनुरक्षण नहीं किया गया, जिस कारण इन स्त्रोतों से प्राप्त आय की जाँच नहीं की जा सकी तथा न ही इस बात की पुष्टि हो सकी कि नगर परिषद की इन मदों से पूर्व में कितनी वसूली शेष थी, अंकेक्षण अवधि में इन स्त्रोतों से कितनी आय प्राप्त हुई तथा दिनांक 31.03.10 को इन स्त्रोतों से नगर परिषद की कुल कितनी वसूली शेष थी। इस प्रकार नगर परिषद द्वारा इन अभिलेखों का अनुरक्षण न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा इनके अनुरक्षण हेतु शीघ्र कार्यवाही करके आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

¼<½ ekckby Vkoj 'kqYd ls ₹40]000-00 dh de olwyh ½&

हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या DIT-Dev-IT-2005(Mise), दिनांक 22.08.2006 के अनुसार नगर परिषद क्षेत्र में मोबाईल टावर लगाने हेतु ₹10,000.00 स्थापना शुल्क तथा ₹5,000.00 वार्षिक नवीनीकरण शुल्क आरोपित किया गया। मोबाईल टावर रजिस्टर के अवलोकन पर पाया गया कि नगर परिषद की वार्षिक नवीनीकरण शुल्क के रूप में ऐयर–टैल कम्पनी से निम्न विवरणानुसार ₹40,000.00 की वसूली शेष थी, जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए, अन्यथा यह वसूली सम्बन्धित से शीघ्र करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

कम्पनी का नाम	टावर स्थापना की तिथि	वर्ष जिसकी वसूली शेष	वार्षिक शुल्क	कुल राशि
ऐयर टैल टावर–1	विवरण नहीं	2008–2009 व 2009–2010	5000/–	10,000/–
ऐयर टैल टावर–2	विवरण नहीं	2008–2009 व 2009–2010	5000/–	10,000/–
ऐयर टैल टावर–3	विवरण नहीं	2008–2009 व 2009–2010	5000/–	10,000/–
ऐयर टैल टावर–4	विवरण नहीं	2008–2009 व 2009–2010	5000/–	10,000/–
			कुल राशि	₹40,000.00

(ण) मैदान बुकिंग से ₹3,900.00 की कम वसूली :-

नगर परिषद द्वारा मैदान बुकिंग हेतु ₹5000 शुल्क निर्धारित किया गया। मैदान बुकिंग के अभिलेखों के अवलोकन पर पाया गया कि नगर परिषद द्वारा रैनबेक्सी कम्पनी के आवेदन पर दिनांक 31.10.2008 की जागरण हेतु मैदान का आरक्षण किया गया, जिसके एवज़ में नगर परिषद को ₹1100 की राशि प्राप्त हुई, जबकि निर्धारित दर के अनुसार ₹5000 की राशि वसूल की जानी थी। परिणामस्वरूप ₹3,900.00 की कम राशि वसूल की गई जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा इसकी वसूली सम्बन्धित से करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

¼r½ tkf[kei.k O;kikj dj ij foyEc 'kYd dh de olyh %&

नगर परिषद द्वारा जोखिमपूर्ण व्यवसाय पर, व्यापार कर आरोपित किया गया था तथा कर की समय पर अदायगी न करने पर ₹5.00 प्रति मास विलम्ब शुल्क निर्धारित किया गया। नगर परिषद द्वारा सम्बन्धित व्यपारियों से नियमित वसूली नहीं की गई तथा न ही लेखा जोखा रखा गया। परिणामस्वरूप इस बात की पुष्टि नहीं हो सकी कि कुल कितनी राशि उपरोक्त शुल्क की शेष थी। इसके अतिरिक्त निम्न प्रकरणों में व्यवसाय कर विलम्ब से जमा करवाने के परिणामस्वरूप ₹315.00 की कम वसूली की गई, जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा इस प्रकार के अन्य प्रकरणों की विभागीय स्तर पर जाँच करके सम्बन्धित से वसूली करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

O;olk; o fooj.k	o"k ftldh jkf'k ikIr gbi	ikfIr dh frfFk	ekfld foyEc 'kYd	dy ekl ftruh njh ls jkf'k ikIr gbi	n; dy foyEc 'kYd
पैट्रोल पम्प वालिया ऑटो	2003–04	22.10.08	5/–प्रतिमाह	66 माह	330/–
पैट्रोल पम्प वालिया ऑटो	2007–08	22.10.08	5/–प्रतिमाह	18 माह	90/–
पैट्रोल पम्प वालिया ऑटो	2008–09	22.10.08	5/–प्रतिमाह	6 माह	30/–
				dy foyEc 'kYd	450@&
				oly foyEc 'kYd	135@&
				de oly	315@&

¼Fk½ fctyh 'kYd dh olyh u djuk %&

हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या एल0एस0जी–डी(1)–9/94, दिनांक 24.06.2000 के अनुसार नगर परिषद परिधि में खर्च होने वाली बिजली पर प्रति यूनिट 1 पैसा बिजली बोर्ड से वसूल किया जाना आपेक्षित था। परन्तु अंकेक्षण में पाया गया कि बिजली शुल्क की अवधि 01.09.07 से 31.03.10 तक कोई वसूली नहीं की गई जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा यह प्रकरण बिजली बोर्ड से उठाकर अपेक्षित शुल्क की वसूली अविलम्ब की जाए।

¼n½ 'kjkc 'kqYd dh jkf'k dh olwyh u djuk %&

हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या यू0एल0बी0–एच(सी)(9)–28/96–1, दिनांक 1.12.99 के अनुसार नगर परिषद क्षेत्र के अन्दर शराब के ठेकों से बिकने वाली बोतलों पर ₹1.00 प्रति बोतल की दर से आबकारी एंव कराधान विभाग द्वारा सम्बन्धित स्थानीय निकायों को भुगतान किया जाना था, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि अवधि 2008–2009 व 2009–2010 में शराब शुल्क की राशि आबकारी एंव कराधान विभाग द्वारा नगर परिषद को प्रेषित नहीं की गई है तथा अवधि 2007–2008 में ₹2,31,527.00 की जो राशि प्राप्त हुई थी के साथ विवरण संलग्न नहीं किया गया है कि नगर परिषद क्षेत्र के अन्तर्गत विभिन्न ठेकों से कितनी शराब की बोतलों की बिक्री हुई।

अतः नगर परिषद अवधि 2008–2009 व 2009–2010 में शराब शुल्क की वसूली हेतु मामला आबकारी एवं कराधान विभाग से उठाकर उक्त शुल्क की वसूली करें तथा अवधि 2007–2008 में प्राप्त राशि की पुष्टि हेतु शराब की बिक्री का विवरण प्राप्त किया जाए ताकि प्राप्त राशि के सही होने की पुष्टि की जा सके।

8 laLFkkiu %&

¼d½ deZpkfj;ksa dh 22 fnuksa dk vfu;fer {kfriwfrZ vodk'k %&

उपस्थिति रजिस्टर के अवलोकन पर पाया गया कि निम्न कर्मचारियों को 22 दिन का क्षतिपूर्ति अवकाश प्रदान किया गया, परन्तु यह नहीं बताया गया कि यह अवकाश किस अवकाश वाले कार्य दिवस पर कार्य करने के बदले प्रदान किया गया। परिणाम स्वरूप इसकी औचित्य की पुष्टि नहीं हो सकी। अतः अपेक्षित सूचना आगामी अंकेक्षण में उपलब्ध करवाई जाए, अन्यथा अदेय अवकाश वेतन की वसूली की जाए।

uke	vof/k ftl fnu dk {kfriwjd vodk'k iznku fd;k x;k	dqy fnu

ज्ञान चन्द चपरासी	4,8,27.01.10	3 दिन
चतर सिंह चपरासी	28.01.10	1 दिन
इसलाम माली	28.01.10 से 30.1.10	3 दिन
ओम प्रकाश बेलदार	4,6,से 8,12 से 15,18,28 से 29.01.10	11 दिन
रमेश कुमार बेलदार	29.01.10	1 दिन
रंजीत बेलदार	29.01.10	1 दिन
रमेश चन्द बेलदार	29.01.10	1 दिन
राम कुमार बेलदार	29.01.10	1 दिन
	dqy fnu	22 fnu

¼[k½ l{ke ikf/kdkjh dk jkX;@vkjkX; iek.k i= ikLr fd, fcuk ifjf.kr vodk'k dh Lohdfr ¼&

श्री अमरनाथ, सफाई कर्मचारी को दिनांक 08.01.2009 से 05.04.2009 तक चिकित्सा आधार पर परिणित अवकाश 108 दिन स्वीकृत किया गया। चिकित्सा प्रमाण पत्र चिकित्सा अधिकारी सिविल हस्पताल पावंटा साहिब द्वारा जारी किया गया था, लेकिन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 19.07.2006 द्वारा सात दिनों से ज्यादा आराम की सलाह देने के लिए केवल विषेषज्ञ चिकित्सक ही प्राधिकृत था। इस प्रकार सात दिन से अधिक की चिकित्सा का रोग्य/आरोग्य प्रमाण पत्र जो कि अधिकृत प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो, सम्बन्धित कर्मचारी से प्राप्त किया जाए अन्यथा सात दिन से अधिक की अवधि का यथादेय अवकाश स्वीकृत करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्षाई जाए।

¼x½ l{ke ikf/kdkjh dh Lohdfr d fcuk oru dh c<krjh ¼&

श्री पूर्ण चन्द, अंषकालीन पटवारी का वेतन ₹1000 बढ़ाकर ₹1560 किया गया। जबकि इस बढ़ाये गए वेतन की निदेषक शहरी विकास विभाग से पूर्व स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई, जिसका

औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा इसकी सक्षम प्राधिकारी से वेतन बढ़ौतरी की तिथि से कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करके अनुपालना अंकेक्षण में दर्षाई जाए।

¼?k½ vodk'k bUnzkt dk lsok iaftdkvksa ls lR;kiu u gks ikuk ¼&

निम्न कर्मचारी प्रत्येक के आगे दर्षाई गई अवधि में अर्जित अवकाश पर थे, लेकिन इनकी सेवा पंजिकायें अंकेक्षण में उपलब्ध न करवाये जाने के फलस्वरूप इनके इन्द्राज सेवा पंजिका में सत्यापित नहीं किए जा सके। अंकेक्षण को मौखिक तौर पर स्पष्ट किया गया कि इनकी सेवा पंजिकायें निदेषक शहरी विकास के कार्यालय में हैं। सेवा पंजिकाओं में इनके अवकाश के इन्द्राज आगामी अंकेक्षण में दर्षाये जाएं।

deZpkjh dk uke	vodk'k vof/k
सुदेश कुमारी	21.01.2008 से 24.01.2008 (अर्जित अवकाश)
सुषील कुमार	01.01.2008 से 31.01.2008 (अर्जित अवकाश)
जय प्रकाश	03.03.2009 से 05.03.2009 (अर्जित अवकाश)

¼3½ fu;ferhdj.k ds vkns'k vads{k.k esa miyC/k u djokuk ¼&

निम्नलिखित कर्मचारियों के सम्बन्ध में निदेषक, शहरी विकास द्वारा जारी नियमितीकरण आदेश अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं करवाये गए, परिणामस्वरूप इनके नियमितीकरण की पुष्टि नहीं हो सकी। अतः वांछित अभिलेख आगामी अंकेक्षण मे दर्षाया जाए।

Øe la[;k	deZpkjh dk uke
1	jes'k pUn
2	jke dqekj
3	cychj

¼p½ vuqfpr oSrfud vodk'k ds QyLo:i ₹100-00 dk vf/kd Hkqxrku ¼&

मास 3/2009 के वाऊचर संख्या 24 द्वारा ₹33,500.00 की राशि दैनिक वेतन भोगियों को भुगतान की गई। मस्टररोल के अवलोकन पर पाया गया कि श्री बाबू राम को दिनांक 01.02.2009 का वैतनिक अवकाश दिया गया, जबकि यह पिछले छः दिन लगातार अपने कार्य पर उपस्थित नहीं

था, परिणामस्वरूप इन्हें वैतनिक अवकाश देय नहीं था। अतः उपरोक्त तिथि को इन्हें वैतनिक अवकाश का औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा अनुचित वैतनिक अवकाश के कारण ₹100.00 की अधिक भुगतान की गई राशि सम्बन्धित कर्मचारी से वसूल की जाए। अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

¼N½ fcuk Lohd`fr izkIr fd, vfrfjDr osru o`f) dk Hkqxrku ½&

श्री रत्नलाल, चालक को ₹200.00 प्रतिमास की दर से दिनांक 01.04.2007 से 20 वर्ष सेवाकाल के बाद अतिरिक्त वेतन वृद्धि प्रदान की गई। नगर परिषद द्वारा यह मामला निदेषक शहरी विकास को स्वीकृति हेतु भेजा गया था तथा निदेषक द्वारा पत्र. संख्या UDH(A)-11/94-10957, दिनांक 01.10.2007 द्वारा जिस पत्र के द्वारा उपरोक्त कर्मचारी अतिरिक्त वेतन वृद्धि के लिए पात्र था, की प्रति मांगी गई थी। लेकिन नगर परिषद द्वारा उपरोक्त कार्रवाई एवं आवष्यक स्वीकृति प्राप्त किए बिना अतिरिक्त वेतन वृद्धि प्रदान कर दी गई, जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए। अन्यथा इसे उपरोक्त अधिकारी से कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करके नियमित करवाया जाए। अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

¼t½ lsok iaftdk;sa vadsa{k.k esa miyC/k u djokuk ½&

निम्नलिखित कर्मचारियो की सेवा पंजिकायें अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं करवाई गई, परिणामस्वरूप इनके देय वेतन की पुष्टि नहीं हो सकी। अंकेक्षण को मौखित तौर पर स्पष्ट किया गया कि ये सेवा पंजिकायें निदेषक शहरी विकास कार्यालय भेजी गई हैं। वांछित सेवा पंजिकायें आगामी अंकेक्षण में आवष्यक पड़ताल हेतु उपलब्ध करवाई जाएं।

Øe la[;k	deZpkjh dk uke
1	Jh vkj0vkj 'kekZ
2	Jhefr lqn'kZu
3	Jhefr iou
4	Jh t; izdk'k
5	Jh lq'khy dqekj
6	Jh Hkkxk jke
7	Jh foukn fery
8	Jh cukjlh nkl

¼>½ ₹1208 dk osru dk vf/kd Hkqxrku ¾&

निम्न कर्मचारियों को देय वेतन से अधिक वेतन निर्धारण के फलस्वरूप प्रत्येक के आगे दर्षाई गई राशियो ंका अधिक भुगतान हुआ जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए। अन्यथा प्रत्येक प्रकरण के आगे दर्षाई अधिक भुगतान की गई राशि की सम्बन्धित से वसूली की जाए तथा इस प्रकार के अन्य प्रकरणों की विभागीय जाँच करके यदि कोई अधिक भुगतान किया गया हो तो उसकी भी वसूली सुनिष्चित की जाए। अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्षाई जाए।

ns; ewy osru	Hkqxrku ewy osru	ewy osru dk vf/kd Hkqxrku izfrekg	vf/kd ewy osru ij Mh0,0 dk vf/kd Hkqxrku	vf/kd Hkqxrku izfrekg	dqy vf/kd Hkqxrku	vof/k	deZpkjh dk uke
10660	10680	20	5	25	25	1.12.09 से 31.12.09	बाबू राम
11030	11050	20	5	25	75	1.1.10 से 31.3.10	बाबू राम
11450	11460	10	3	13	52	1.12.09 से 31.3.10	लोकेन्द्र
8990	9010	20	5	25	25	1.12.09 से 31.3.09	ओम प्रकाश
9320	9340	20	5	25	75	1.1.10 से 31.3.10	ओम प्रकाश
8990	9010	20	5	25	25	1.12.09 से 31.12.09	तेज पाल
9320	9340	20	5	25	75	1.1.10 से 31.3.10	तेज पाल
8190	9010	20	5	25	25	1.12.09 से 31.12.09	सुमेर चन्द
9320	9340	20	5	25	75	1.1.10 से 31.3.10	सुमेर चन्द
8990	9010	20	5	25	25	1.12.09 से 31.12.09	बृज पाल
9320	9340	20	5	25	75	1.1.10 से 31.3.10	बृज पाल

8990	9010	20	5	25	100	1.12.09 से 31.3.10	मधुकर
10660	10680	20	5	25	25	1.12.09 से 31.12.09	लच्छमी
11030	11050	20	5	25	75	1.1.10 से 31.3.10	लच्छमी
10660	10680	20	5	25	25	1.12.09 से 31.12.09	अमरनाथ
11030	11050	20	5	25	75	1.1.10 से 31.3.10	अमरनाथ
10660	10680	20	5	25	25	1.12.09 से 31.12.09	बनारसी
11030	11050	20	5	25	75	1.1.10 से 31.3.10	बनारसी
10660	10680	20	5	25	25	1.12.09 से 31.12.09	पाली राम
11030	11050	20	5	25	75	1.1.10 से 31.3.10	पाली राम
8390	8400	10	3	13	52	1.12.09 से 31.3.10	राम दयाल
5870	5880	10	3	13	52	1.12.09 से 31.3.10	मांगा राम
11680	11690	10	3	13	52	1.12.09 से 31.3.10	ललित गोयल
					₹1208		

¼¥½ <u>vfu;fer fo'k"k osru dk QyLo:i ₹6]300-00 dk vf/kd Hkqxrku</u> ¼&

श्री आर0आर0 शर्मा, कार्यकारी अधिकारी को ₹300.00 प्रतिमाह की दर से विषेष वेतन दिया गया, जबकि कार्यकारी अधिकारी के पद पर विषेष वेतन का कोई प्रावधान नहीं था। परिणामस्वरूप दिनांक 1.10.2007 से 30.6.2009 तक ₹300.00 प्रति मास की दर से ₹6,300.00 की राशि विषेष वेतन के फलस्वरूप अधिक भुगतान की गई जिसका औचित्य नियमों के दृष्टिगत स्पष्ट किया जाए। अन्यथा अधिक भुगतान की गई उपरोक्त राशि सम्बन्धित से वसूल करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्षाई जाए।

¼V½ <u>osru ij fcuk Lohd`fr ls vf/kd O;; </u>¼&

अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई सूचना के अनुसार वर्ष 2007–08 में वेतन पर व्यय हेतु बजट प्रावधान ₹61,50,840.00 था जबकि वास्तविक व्यय ₹70,57,492.00 हुआ तथा इसी प्रकार वर्ष 2008–2009 मे बजट प्रावधान ₹68,96,000.00 था जबकि वास्तविक व्यय ₹89,96,023.00 किया गया। इस प्रकार वर्ष 2007–08 व 2008–09 में वास्तविक व्यय बजट प्रावधान से क्रमशः ₹9,06,052.00 व ₹21,00,023.00 अधिक हुआ, लेकिन बढ़े हुए व्यय की सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा आपेक्षित सक्षम प्राधिकारी से कार्योत्तर स्वीकृति अब प्राप्त करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्षाई जाए।

9 0;;

¼d½ [kkyh vkokl gkus d ckotn fctyh dk vf/kd 0;; ½&

निम्नलिखित राशियां कार्यकारी अधिकारी आवास के बिजली के बिलों के रूप में भुगतान की गई जबकि इस अवधि में उपरोक्त आवास खाली था। इस प्रकार खाली आवास के लिए बिजली खपत का औचित्य स्पष्ट किया जाए, अन्यथा यह प्रकरण सम्बन्धित बोर्ड से उठाया जाए या यह राशि उचित स्त्रोत से वसूल करके परिषद निधि में जमा करवाई जाए। अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्षाई जाए।

fo|r jftLVj i"B l[;k	Hkxrku jkf'k	fcy frfFk
18–19	4117	25.8.2009
18–19	5936	24.12.2009

¼[k½ lYkHk 'kkpkYk; d fctyh fcy dk vufpr Hkxrku ½&

निम्नलिखित राशियां सुलभ शौचालय के बिजली के व्यय के रूप में भुगतान की गई। सुलभ शौचालय का अनुरक्षण निजि संस्था द्वारा किया जा रहा था। ऐसे में इसके बिजली के व्यय का भुगतान सम्बन्धित संस्था द्वारा ही किया जाना था। अंकेक्षण को मौलिक तौर पर स्पष्ट किया गया कि अनुबन्ध के अनुसार बिजली व्यय नगर परिषद द्वारा वहन किया जाना था, जबकि इसके सर्मथन में कोई अभिलेख अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं करवाये गए। अगर वास्तव में यह शर्त अनुपलब्ध में रखी गई थी तो इसके लिए क्या आधार बनाया गया, का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा किन्हीं परिस्थितियों में ऐसा अनुबन्ध कर लिया गया था, तो इसकी व्यय सीमा क्यों निर्धारित नहीं की गई

ताकि इसके दुरूपयोग को भी टाला जा सकता। यह प्रकरण उच्च अधिकारियों के ध्यान में भी लाया जाता है।

ekl	okÅpj la[;k	jkf'k
2/2010	50(22)	2755
3/2009	52	4800

¼x½ lek;ktu ys[k izkIr u djuk %&

मास 3/2009 के वाऊचर संख्या 40 द्वारा ₹79,264.00 की राशि हिमाचल प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाई कार्पोरेषन को सीमेन्ट के क्रय हेतु अग्रिम भुगतान की गई, लेकिन इसके विरूद्ध समायोजन लेखे सम्बन्धित कार्पोरेषन से प्राप्त नहीं किए गए। इस अग्रिम के समायोजन से सम्बन्धित समायोजन विवरणी/लेखे उपरोक्त कार्पोषन से प्राप्त करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण सत्यापित करवाई जाए।

¼?k½ ikdZ dh fctyh dh vf/kd [kir %&

मास 2/2010 के वाऊचर संख्या 50(18) द्वारा ₹10,701.00 की राशि पार्क के बिजली बिल के रूप में भुगतान की गई। इससे पूर्व की अवधि का बिजली बिल ₹1,497.00 का था। इस प्रकार पूर्व मास की तुलना में वर्तमान बिजली का बिल ₹9,204.00 अधिक प्राप्त हुआ, लेकिन अधिक खपत के लिए कोई औचित्य स्पष्ट नहीं किया गया। अतः यह प्रकरण सम्बन्धित बिजली बोर्ड से उठाया जाए तथा की गई कार्यवाही की अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्षाई जाए।

¼³½ vkSLkr nj ij fctyh fcyksa dk Hkqxrku %&

निम्नलिखित प्रकरणों में बिजली के बिलों का भुगतान औसत आधार पर किया गया। जब ये मीटर खराब थे तो इन्हें ठीक करवाने हेतु कार्यवाई क्यों नहीं की गई, का औचित्य प्रस्तुत किया जाए। इससे प्रतीत होता है कि नगर परिषद प्रषासन द्वारा अपने वित्त पर नियन्त्रण नहीं रखा जा रहा था, जिससे प्रषासनिक लापरवाही परिलक्षित होती है। इन मीटरों को ठीक करवाने हेतु उचित पग उठाये जाएं तथा वास्तविक खपत के आधार पर ही बिल का भुगतान सुनिष्चित किया जाए। अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्षाई जाए।

ekl	okÅpj la[;k	jkf'k	ehVj la[;k
2/2010	50(1)	1,144.70	AC/100000.00
2/2010	50(2)	8,994.00	BCA-I
2/2010	50(3)	13,619.00	BS-I
2/2010	50(10)	23,964.00	YHT

¼p½ Hk.Mkj bUnzkt Li"V u djuk %&

मास 2/2008 के वाऊचर संख्या 14 द्वारा ₹1500 की राशि 15 टन सरिये की उतराई के रूप में भुगतान की गई, लेकिन इसके विरूद्ध सरिये के भण्डार इन्द्राज अंकेक्षण में स्पष्ट नहीं किए गए। परिणामस्वरूप इस व्यय के सही होने की पुष्टि नहीं हो सकी। अतः अपेक्षित आवष्यक इन्द्राज आगामी अंकेक्षण में सत्यापित करवाया जाए।

¼N½ fufft laLFkkvksa ls fpfdRlk 0;; ifrifrZ dks fo:) ysc VsLV vkfn dh ljdkjh njsa vuqdw{k.k esa miyC/k u djokuk %&

निम्नलिखित प्रकरणों में चिकित्सा लैब टैस्ट निजि संस्थाओं से करवाये गए थे। सरकारी अनुदेषों के अनुसार निजि संस्थानों से करवाये गए इस प्रकार के टैस्ट व्यय की प्रतिपूर्ति सरकारी दरों के अनुसार की जानी थी लेकिन यह निजि दर से ही कर दी गई, जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए, अन्यथा इन टैस्टों की सरकारी दर की प्रति प्राप्त करके अधिक भुगतान की विभागीय गणना करके सम्बन्धित से वसूली करके अनुपालना से इस कार्यालय को सूचित किया जाए।

ekl	okÅpj la[;k	Hkqxrku	deZpkjh dk uke	fooj.k VsLV
2/2008	51	1034	विनोद कुमार	लैब टैस्ट का ₹290.00 का मै0 शुभ क्लीनिक लैब को भुगतान की प्रतिपूर्ति।
2/2008	51	618	हस्मत अली	अल्ट्रासाऊंड ₹350.00 के मैं0 विकास

				अल्ट्रासाऊंड को भुगतान की प्रतिपूर्ति।
2/2008	51	3130	सुदेश	वल्डषूगर टैस्ट की मै0 पाऊंटा क्लीनिक लैब को ₹20.00 के भुगतान की प्रतिपूर्ति।
2/2010	17	12047	मधुकर शर्मा	सी0टी0स्कैन के ₹1400 चार्जिज मैं दून सी0टी0स्कैन सैन्टर की प्रतिपूर्ति।
2/2010	17	725	सुदेश	पैथोलोजिकल टैस्ट मैं0 भारत विकास परिषद को ₹45.00 के भुगतान की प्रतिपूर्ति।
2/2010	17	2629	सुदेश	एफ0बी0 शुगर पर मै0 भारत विकास परिषद को ₹15.00 के भुगतान की प्रतिपूर्ति।
2/2010	17	2036	रमेश कुमार	प्रोसीज़र टैस्ट पर पूरन हस्पताल को ₹800 के भुगतान की प्रतिपूर्ति।
2/2010	17	2036	रमेश कुमार	लैब टैस्ट ₹30.00 यथोपरि
2/2010	17	2036	रमेश कुमार	लैब टैस्ट ₹350.00 यथोपरि
2/2010	17	2036	रमेश कुमार	ड्रैसिंग ₹20.00 यथोपरि
2/2010	17	2036	रमेश कुमार	ड्रैसिंग ₹20.00 यथोपरि
2/2010	17	2036	रमेश कुमार	कार्ड फीस ₹20.00 यथोपरि
2/2010	17	2036	रमेश कुमार	लैब टैस्ट ₹365.00 यथोपरि
2/2010	17	2036	रमेश कुमार	ड्रैसिंग ₹20.00 यथोपरि

2/2010	17	1179	हस्मत अली	कार्ड फीस ₹20.00 यथोपरि
2/2010	17	569	हस्मत अली	कार्ड फीस ₹20.00 यथोपरि
2/2010	17	569	हस्मत अली	लैब टैस्ट ₹85.00 यथोपरि
2/2010	17	12000	हस्मत अली	अपैन्डिक्स ऑप्रेषन के ₹8625.00 की राशि मै0 पूरन हस्पताल द्वारा चार्ज की गई तथा इस पर फुल दवाईयों सहित ₹14590.00 का दावा प्रस्तुत किया गया, जिसके विरूद्ध ₹12000.00 की राशि भुगतान की गई। अतः ₹2590.00 की कम भुगतान राशि को अपैन्डिक्स ऑप्रेषन के विरूद्ध कम मान लिया जाए तो (8625–2590) इस ऑप्रेषन के विरूद्ध ₹6035.00 की प्रतिपूर्ति की गई, जो कि सरकारी दर अनुसार की जानी अपेक्षित थी। अतः इसकी सरकारी दर अनुसार रैग्यूलेट करके अधिक भुगतान की वसूली की जाए।
2/2010	17	355	हस्मत अली	₹20.00 ड्रैसंग फीस मैं0 पूरन हस्पताल को भुगतान की प्रतिपूर्ति।

¼t½ fpfdRlk 0;; ifriifr dk fo:) gLryky dk **Super Speciality** oxZ dk iek.k iLrr u djuk ½&

मास 2/2010 के वाऊचर संख्या 27 द्वारा ₹1,42,900.00 की राशि श्री सुषील कुमार मितल को उनकी पत्नि के राजीव गांधी कैंसर इन्स्टीटयूट दिल्ली से चिकित्सा करवाने के रूप में चिकित्सा व्यय प्रतिपूत्रि की भुगतान की गई। हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या HFW-B(F)-1/2008, दिनांक 21.06.2008 के अनुसार संलग्न परिशिष्ट के नियम 12 के अन्तर्गत सरकारी कर्मचारी/आश्रित कैंसर चिकित्स के लिए किसी भी Super Speciality हस्पताल संस्था से उपचार

करवा सकते थे तथा चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति सी0जी0एच0एस0 दरों से की जाएगी, लेकिन क्या उपरोक्त हस्पताल उपरोक्त Super Speciality वर्ग के अन्तर्गत था या नहीं का कोई प्रमाण अंकेक्षण मे उपलब्ध नहीं करवाया गया। हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण प्राप्त किए जायें तथा यह स्पष्टीकरण भी प्राप्त किया जाएं कि इस हस्पताल के चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति की जा सकती है या नहीं। इसके अतिरिक्त सी0जी0एच0एस0 के पत्र संख्या 1–13/Hospital Cell/R&H/CGHSD/A, दिनांक 2.9.2008 के अनुसार इस वर्ग के हस्पताल के चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति वर्ष 2001 की दरों के अनुसार की जाती थी लेकिन 2001 की क्या दरें थी, की प्रति अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं करवाई गई। परिणामस्वरूप इस भुगतान की औचित्यता की पुष्टि नहीं हो सकी। इस सम्बन्ध में आपेक्षित दरों की प्रति प्राप्त करके चिकित्सा व्यय को तदानुसार रैग्यूलेट करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्षाई जाए।

¼>½ dksV's'ku ukfVl lekpkj ek/;e ls foKkfir u djuk ¼&

निम्नलिखित क्रय के लिए कुटेषन/टैण्डर नोटिस समाचार पत्रों के माध्यम से विाापित नहीं किए गए। इतने अधिक व्यय हेतु कुटेषन/नोटिस समाचार पत्रों के माध्यम से विज्ञापित करना आपेक्षित था ताकि अधिक से अधिक प्रतिस्पर्धा के कारण न्यूनतम दर का लाभ उठाया जा सकता। उपरोक्त आपेक्षित कार्यवाई न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए।

ekl	okÅpj l[;k	jkf'k	fooj.k	ftllsØ; fd;k x;k
5/2008	45	2,25,888.00	पार्क झूले	मैं0 भगवान सिंह एण्ड सन्ज़
3/2008	31	1,25,269.00	पार्क झूले	मैं0 इन्डस्ट्रीयल ट्रेडर्ज चण्डीगढ़
2/2010	29	88,720.00	बिजली का सामान	मैं0 खुराना इन्टरप्राईज़ेज
2/2010	30	53,534.00	लकड़ी सोखता	नरेन्द्र सिंह
2/2010	22	45,942.00	बिजली का सामान	मै0 गुप्ता ईन्टरप्राईज़िज
3/2009	28	48,720.00	बिजली का सामान	मैं0 मनोज इन्डस्ट्रीज
2/2008	16	33,820.00	बिजली का सामान	मैं0 मनोज इन्डस्ट्रीज

2/2008	22	1,04,017.00	बिजली का सामान	मै0 पंजाब इलैक्ट्रिकलस वर्कस

¼¥½ oSV dk ₹3]435-00 dk vfu;fer Hkqxrku ½&

मास 2/2008 के वाऊचर संख्या 16 द्वारा ₹33,822.00 की राशि बिजली के सामान के क्रय हेतु मै0 मनोज इन्डस्ट्री पांवटा साहिब को भुगतान की गई। इसमें फर्म द्वारा संविदादर पर ₹3,435.00 की राशि वैट के रूप में चार्ज की गई। जबकि फर्म द्वारा कुटेषन में वैट अतिरिक्त चार्ज करने की पूर्व में कोई शर्त नहीं थी। इस शर्त को कुटेषन में न रखने के कारण इस कुटेषन को दोबारा हाऊस में रखने हेतु कार्यालय नोट (प्रतिलिपि) संलग्न 5(1) में कार्यकारी अधिकारी द्वारा टिप्पणी की गई। परिणामस्वरूप इस शर्त को कुटेषन में सम्मिलित करवाया गया तथा हाऊस द्वारा प्रस्ताव संख्या 5(4), दिनांक 7.6.2007 के द्वारा अनुमोदित किया गया (छाया प्रति संलग्न ङ(11)। जब फर्म द्वारा कुटेषन में वैट अतिरिक्त चार्ज करने की कोई शर्त नहीं रखी गई तो इसे बाद में शामिल करने का कोई औचित्य नहीं बनता, जिससे स्वतः प्रतीत होता है कि उपरोक्त फर्म को अनुचित लाभ पहुंचाने के जिए ऐसा किया गया जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए। अन्यथा उपरोक्त वैट के फलस्वरूप भुगतान की गई राशि की दोषी से वसूली सुनिष्चित की जाए। इसके अतिरिक्त कार्यकारी अधिकारी को अंकेक्षण अधियाचना संख्या 2, दिनांक 26.4.2010 द्वारा 4/2007 से 3/2008 की अवधि में उपरोक्त फर्म से क्रय सामान तथा वैट के फलस्वरूप भुगतान की गई राशि की सूचना अंकेक्षण को उपलब्ध करवाने हेतु अनुरोध किया गया, लेकिन अंकेक्षण समाप्ति तक न तो इसका कोई प्रत्युत्तर दिया गया तथा न ही इसकी सूचना अंकेक्षण में उपलब्ध करवाई गई जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा इस प्रकार के प्रकरणों की विभागीय जाँच करके अधिक भुगतान किए गए वैट की सम्बन्धित से वसूली की जाए।

¼V½ U;wure nj dh vis{kk vf/kd nj ij Ø; djus ds QyLo:i ₹6]600-00 dk vf/kd Hkqxrku ½&

मास 2/2008 के वाऊचर संख्या 22 द्वारा ₹1,04,017.00 की राशि मैं0 पंजाब इलैक्ट्रीकल हार्डवेयर स्टोर पांवटा साहिब को बिजली के सामान के क्रय हेतु भुगतान की गई, जिसमें 30 अदद SUL Fixture 150 watt ₹1,969.00 प्रति +12.50 प्रतिषत वैट की दर से क्रय किए गए। परिणामस्वरूप इसकी दर ₹2,215.00 बनती थी जबकि मैं0 मनोज इन्डस्ट्रीज़ पांवटा साहिब की इस मद की दर ₹1,995.00 न्यूनतम थी, क्योंकि इस दर पर वैट अतिरिक्त चार्ज करने की पूर्व मे कोई

शर्त नहीं थी जिसे बाद में जोड़ा गया। अगर इस मद को इस फर्म से क्रय किया जाता तो 30 अदद के क्रय पर ₹6,600.00 की बचत होनी थी। महंगी दर पर क्रय करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा अधिक व्यय की गई उपरोक्त राशि सम्बन्धित से वसूल की जाए। इसके अतिरिक्त कार्यकारी अधिकारी को उपरोक्त फर्म से वर्ष 2007–08 में मद पर क्रय किए सामान का विवरण दर सहित अंकेक्षण को उपलबध करवाने का अंकेक्षण अधियाचना संख्या 1, दिनांक 26.4. 2010 द्वारा अनुरोध किया गया। लेकिन अंकेक्षण समाप्ति तक इसका न तो कोई प्रत्युत्तर दिया गया तथा न ही सूचना अंकेक्षण में उपलब्ध करवाई गई। इस प्रकार के अन्य प्रकरणों की विभागीय जाँच करके अधिक भुगतान/व्यय की सम्बन्धित से वसूली की जाए। अनुपालना से इस विभाग को भी सूचित किया जाए।

¼B½ मास 3/2009 के वाऊचर संख्या 28 द्वारा ₹48,720.00 की राशि मै0 मनोज इन्डस्ट्री पांवटा साहिब को बिजली के सामान के क्रय हेतु भुगतान की गई। इसमें निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई :–

¼1½ NwV dh dVkSrh u djus dk QyLo:i ₹1]443-00 dk vf/kd Hkqxrku ½&

इसमें 70 अदद टयूब फिक्सचर ₹687.00 प्रति की दर से क्रय किए गए। उपरोक्त मद पर नैगोसिऐषन के बाद फर्म द्वारा 3 प्रतिषत छूट का समझौता किया गया, लेकिन बिल में उपरोक्त छूट नहीं दी गई, परिणामस्वरूप ₹48,090.00 के क्रय पर 3 प्रतिषत की दर से छूट न देने के कारण ₹1,443.00 का अधिक भुगतान किया गया। अधिक भुगतान की गई राशि सम्बन्धित कर्मचारी से वसूल करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्षाई जाए।

¼2½ vko';drk ls vf/kd Ø; ½&

भण्डार रजिस्टर के अवलोकन पर पाया गया कि इसमें से 44 अदद टयूब फिकसचर अभी भी भण्डार में शेष थे। जब इस मात्रा की आवष्यकता नहीं थी तो आवष्यकता अनुसार इन्हें क्यों क्रय नहीं किया गया, के औचित्य को स्पष्ट किया जाए, अन्यथा इस ₹30,228.00 के अपव्यय (687 x 44) के लिए सम्बन्धित अधिकारी के विरूद्ध उचित कार्यवाही की जाए।

¼M½ vkokl ds ikuh 0;; dk vuqfpr Hkqxrku ½&

मास 3/2000 के वाऊचर संख्या 18 द्वारा ₹1,405.00 की राशि श्री वृज पाल को विभिन्न व्यय की गई राशियों की प्रतिपूत्रि के रूप में भुगतान की गई, इसमें निम्न राशियां कर्मचारियेां के सरकारी आवासों के पानी के बिलों के रूप भुगतान की दर्षाई गई। जबकि यह व्यय सम्बन्धित कर्मचारियों द्वारा स्वयं वहन किया जाना था। यह राशि सम्बन्धित से वसूल करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्षाई जाए।

deZpkjh dk uke	Hkqxrku dh jkf'k	[kkrk la[;k
सुमेर चन्द	80	219
तेज पाल	80	220

¼<½ vfrfFk;ksa dk C;kjk miyC/k u djokuk %&

मास 3/2009 के वाऊचर संख्या 56 द्वारा ₹31,428.00 की राशि श्री करनैल सिंह को मेला अवधि में भोजन, जलपाल प्रदान करने हेतु भुगतान की गई। लेकिन उपरोक्त भोजन व जलपाल किसे दिया गया, का ब्यौरा अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं करवाया गया। परिणामस्वरूप इस व्यय के औचित्य की पुष्टि नहीं हो सकी। उक्त अभाव मे किए गए भुगतान का कोई औचित्य नहीं बनता। अतः ₹31,428.00 की वसूली उचित स्त्रोत से करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्षाई जाए।

¼.k½ fuEu jkf'k;ksa lQkbZ Bsds ds QyLo:i Hkqxrku dh xbZ] ftlesa uhps nh xbZ vfu;ferrk,a ikbZ xbZ %&

2008&09

ekl	okÅpj la[;k	jkf'k ¼2008&2009½	Bsdsnkj dk uke	okMZ Øekad
2/2009	23	12,000.00	संजय कुमार	1
2/2009	23	12,000.00	त्रिवेन्द्र कुमार	2
2/2009	23	12,000.00	सुषील कुमार	3
2/2009	23	12,000.00	धनी राम	6
2/2009	23	12,000.00	रवीन्द्र कुमार	10

2/2009	26	12,000.00	सुरजीत कुमार	11
2/2009	31	12,000.00	राजेश कुमार	4
2/2009	31	10,700.00 कुल (12,000)	जगमल	7
2/2009	31	12,000.00	शषी कुमार	9
2/2009	31	4,000.00	धर्म सिंह	7 व 8

2009&10

2/2010	37	10,800.00	श्री संजू राम	1
2/2010	37	12,000.00	श्री सुनील	3
2/2010	37	12,000.00	श्री राजेश	4
2/2010	37	10,000.00	धनी राम	6
2/2010	37	7,600.00	देवेन्द्र	7
2/2010	37	5,000.00	शशि	9
2/2010	37	7,500.00	जितेन्द्र	10
2/2010	37	11.900.00	सुरजीत	11
2/2010	37	5,000.00	शशि	9
2/2010	37	8,500.00	आषा देवी	2
2/2010	37	14,700.00	अंजू देवी	8

2007&08

2/2008	30	9,500.00	संजू राम	1	(9,500–500 रेहडी किराया)	9,000.00
2/2008	30	9,500.00	सुनील कुमार	3	(9,500–500 रेहडी किराया)	9,000.00
2/2008	30	9,500.00	राजेश कुमार	4	(9,500–500 रेहडी किराया)	9,000.00
2/2008	30	9,500.00	धनीराम	6	(9,500–500 रेहडी किराया)	9,000.00
2/2008	30	9,500.00	शषी कुमार	9	(9,500–500 रेहडी किराया)	9,000.00

2/2008	30	9,500.00	देवेन्द्र कुमार	10	(9,500–500 रेहडी किराया)	9,000.00
2/2008	30	9,500.00	सुरजीत कुमार	11	(9,500–500 रेहडी किराया)	9,000.00
2/2008	30	7,500.00	ईष्वर दास	7 व 8	(8,000–500 रेहडी किराया)	7,500.00
2/2008	35	9500	राम कुमार	2	(9,500–500 रेहडी किराया)	9,000.00

¼1½ dV'ku vdk{k.k e miyC/k u djokuk ¼&

वर्ष 2007–2008 व 2008–2009 में सफाई के ठेके के विरूद्ध कुटेषन अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं करवाई गईं। कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद को उपरोक्त कुटेषनें अंकेक्षण में उपलब्ध करवाने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 3, दिनांक 27.4.2010 द्वारा अनुरोध किया गया। लेकिन अंकेक्षण समाप्ति तक उपरोक्त कुटेषने अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं करवाई गई तथा न ही इस अधियाचना का कोई प्रत्युत्तर दिया गया, जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा ये कुटेषने तलाश की जाऐं। अगर यह कार्य बिना कुटेषनों के करवाए गए हों तो इसका औचित्य स्पष्ट किया जाए, अन्यथा इसे एक संविदा का व्यय मानकर सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृती प्राप्त करके इसे नियमित करवाया जाए। अनुपालना आगामी अंकेक्षण मे दर्षाई जाए।

¼2½ dV'ku ukfVI lekpkj i= e foKkfir u djuk ¼&

वर्ष 2009–10 के सफाई ठेके के विरूद्ध कुटेषन नोटिस को समाचार पत्र के माध्यम से विज्ञापित नहीं किया गया। यदि इसे समाचार पत्र के माध्यम से विज्ञापित किया जाता तो अधिक प्रतिस्पर्धा होती, परिणामस्वरूप दरें और कम होती। इसे समाचार पत्र के माध्यम से विज्ञापित न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए।

¼3½ uxkfl,'ku u djuk ¼&

वर्ष 2009–10 में सफाई ठेके की बोली की नोटिंग के अवलोकन पर पाया गया कि सम्बन्धित कार्यालय सहायक द्वारा नोटिंग में टिप्पणी की गई कि वार्ड संख्या 3,4 व 11 की न्यूनतम ठेका बोली राशि में नैगोसिएषन की जा सकती है। लेकिन वार्ड संख्या 3 के विरूद्ध ठेकेदार को नैगोसिएषन के लिए आमंत्रित किया गया तथा उसके द्वारा बोलीदर को ₹14,000.00 प्रतिमाह से घटा कर ₹12,000.00 प्रति माह कर दिया गया। लेकिन वार्ड संख्या 4 व 11 के ठेकेदार को नैगोसिएषन के लिए आमन्त्रित नहीं किया गया तथा बोली के आधार पर ही ठेका दे दिया गया।

अगर इन वार्डों के सफाई ठेके में भी नैगोसिएषन की गई होती तो ठेका दर और कम हो सकती थी। इन प्रकरणों में ऐसा न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा भविष्य में इस चूक को न दौहराया जाए।

¼r½ vn; nokbl;k dh vufpr ifrifr %&

निम्नलिखित दवाईयों के व्यय की प्रतिपूत्रि का चिकित्सा नियमावली 1944 के अन्तर्गत कोई प्रावधान नहीं था। इनके व्यय की प्रतिपूर्ति का औचित्य नियमों के अन्तर्गत स्पष्ट किया जाए, अन्यथा यह राशि सम्बन्धित से वसूल करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्षाई जाए।

ekl	okÅpj l[;k	jkf'k	vn; nokbl;k	nokbl dk eY;	deipkjh dk uke
2/2010	17	12,047.00	वीकासोल कैप्सूल	33	मधुकर शर्मा
			वीकासोल कैप्सूल	33	मधुकर शर्मा
			वीकासोल कैप्सूल	33	मधुकर शर्मा
2/2010	17	364	क्रीमाबिन	61	दलजीत सिंह
2/2010	17	364	क्रीमाबिन	61	दलजीत सिंह
2/2010	17	256	हिंगवास्टिक चूर्ण	50	हस्मत अली

¼Fk½ vfxe d lek;ktu d fo:) vfHkys[k miyC/k u djuk %&

मास 2/2010 के वाऊचर संख्या 45, द्वारा ₹1,70,000.00 की राशि निदेषक उत्तरी संस्कृति केन्द्र चण्डीगढ़ को 2.3.2010 से 4.3.2010 तक आयोजित किए जाने वाले होली मेले में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों को प्रस्तुत करने के लिए अग्रिम दी गई। लेकिन अग्रिम रजिस्टर के अवलोकन पर पाया गया कि इसे वास्तविक प्राप्ति रसीद के आधार पर समायोजत कर दिया गया, लेकिन इसके विरूद्ध किस तिथि को उपरोक्त संस्थान द्वारा कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए तथा क्या उनके द्वारा दर्षाए गए सभी कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, के सर्मथन में कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं करवाये गए। परिणामस्वरूप इसके समायोजन की पुष्टि नहीं हो सकी। उपरोक्त संस्था से इस

सम्बन्ध में प्रस्तुत कार्यक्रमों की विवरणीय दर सहित प्राप्त करके सम्बन्धित मेला समिति से सत्यापित करें व अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

¼n½ Lohdfr fcuk tehu dk gLrkarj.k %&

अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार नगर परिषद ने प्रस्ताव संख्या 15, दिनांक 30.5.09 द्वारा भूमि जिसका रकवा 98.14 वर्गमीटर था, बाल विकास परियोजना अधिकारी पावंटा साहिब को हस्तांतरित की गई। उक्त भूमि हस्तांतरण बारे नगर परिषद द्वारा सक्षम अधिकारी से कोई स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई तथा न ही हस्तांतरण के एवज़ में कोई राशि प्राप्त हुई। इस प्रकार नगर परिषद द्वारा बिना स्वीकृति के जमीन हस्तांतरण का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा इस सम्बन्ध में कार्योत्तर स्वीकृति व जमीन के बदले प्राप्त होने वाली राशि की वसूली करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

10 fuekZ.k dk;Z %&

¼d½ fuEufyf[kr jkf'k;ka iR;sd dks vkxs n'kkZ, x, fuekZ.k dk;ksZa ij 0;; dh xbZ] ftuesa uhps dh xbZ vfu;ferrk,a ikbZ xbZ %&

ekl	okÅpj l[;k	fuekZ.k dk eY;	fuekZ.k dk;Z dk uke
2/2008	13	90,208.00	C/o street from U.H.72 to dispensiory in ward no. 2
2/2008	13	57,334.00	C/o street\CC pavement from kedar road to H.O.Sh Jai Chand in ward no.2
2/2008	13	1,66,806.00	M.O CC pavement\Street from exist road near crimination ground to --------- in ward no.7
		1,76,392.00	C/o nalla in Balmiki Basti in ward no.5

	52	1,99,410.00	Reko road in w.no. 3 damaged due to laying of sewerage from nahan ------has road to niearkari bhawan in W.No.3
		78,719.00	M/o road in Anoresh singh from H.O. Sh vijay sharma towards H.O. Sh Inder Singh in W.No.3
	53	1,39,617.00	C/o road in w.no.11 from shiv khara degree college road to MO.Sh. Shagan Lal.
	34	3,07,023.00	Ro\C\o drain from shop of V.K. Hardware to exist nalla in W.No.6
3／09	60	1,99,890.00	C/o drain by laying R.C.C pipe from Bodh nagar primary school toward Janbee nallah.
		3,29,422.00	-do-
	50	6,35,660.00	C/o-E.o Residance.
2／2010	56	70,583.00	Crossing Drain hear H.o. Sh Sharma in w.no.3
	54	1,16,006.00	C/o road hear the H/o sh Shakir in w.no.4
		1,93,365.00	Re C/o road from PWD road to H.O Sh kapoor in w.no.3
		1,96,635.00	Re C/o drains street hear the H/o Sh Raghebir in w.no.10

¼1½ rduhdh Lohd`fr ds fcuk fuekZ.k dk;Z dk fu"iknu ½&

उपरोक्त निर्माण कार्यों मे सक्षम प्राधिकारी से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए, अन्यथा सक्षम प्राधिकारी से कार्योत्तर तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्षाई जाए।

¼2½ V.Mj ukfVl lekpkj i= ds ek/;e ls foKkfir u djuk ½&

इन निर्माण कार्यों हेतु टैण्डर नोटिस समाचार पत्र के माध्यम से विज्ञापित करने के प्रमाण में समाचार पत्र की प्रति अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं करवाई गई, परिणामस्वरूप इनके समाचार पत्र के माध्यम से विज्ञापित करने की पुष्टि नहीं हो सकी। अगर वास्तव में समाचार पत्र के माध्यम से विज्ञापित किए गए हों तो समाचार पत्र की विज्ञापित प्रति तलाश करके आगामी अंकेक्षण में दर्षाई जाए, अन्यथा इन्हें समाचार पत्र के माध्यम से विज्ञापित न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए।

¼[k½ मास 3/2009 के वाऊचर संख्या 50 द्वारा ₹6,35,660.00 की राशि कार्यकारी अधिकारी के आवास के निर्माण कार्य पर व्यय की गई तथा यह निर्माण कार्य श्री मनोज कुमार से करवाया गया जिसमें निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई।

¼1½ nj lwph nj ls vf/kd nj ds ifj.kkeLo:i ₹5]377-00 dk vf/kd Hkqxrku ½&

निम्न मदों की दर सूची अनुसार दर कम थी लेकिन भुगतान अधिक दर पर किया गया। परिणामस्वरूप प्रत्येक प्रकरण के आगे दर्षाई कुल ₹5,377.00 की राशि का अधिक भुगतान किया गया जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए। अन्यथा अधिक भुगतान की गई उपरोक्त राशि सम्बन्धित से वसूल करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्षाई जाए।

en dk uke	ek=k	nj lwph dh nj	Hkqxrku nj	izhfe;e nj	vf/kd Hkqxrku
P&F Aluminium tower volt					
250x10mm	26	6.10	35	45%	1090
200x10mm	102	5.70	31.60	45%	3831
White washing	393.32 m^2	2.10	2.90	45%	456

₹5377

¼2½ V.Mj vkefU=r fd, fcuk fuek.k dk;l dk fu"iknu o Hkxrku ihfe;e nj dk foHkkxh; vkfpR; r;kj u djuk ¼&

इस निर्माण कार्य हेतु कोई टैण्डर आमन्त्रित नहीं किए गए तथा उपरोक्त ठेकेदार से कार्य के वर्ग अनुसार मानक दर पर दर प्रीमियम आमन्त्रित की गई तथा मानक दर पर निम्न प्रीमियम दरें स्वीकृत की गई (छाया प्रति अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट 'च' पर संलग्न)। अन्य कार्य जो मोके पर किए जाने आपेक्षित थे, को मानक दर 1999 पर 140 प्रतिषत प्रीमियम पर स्वीकृत किया गया। इस निर्माण कार्य हेतु टैण्डर आमन्त्रित न करने का औचित्य नियमों के दृष्टिगत स्पष्ट किया जाए। इसके अतिरिक्त ठेकेदार से आमन्त्रित/स्वीकृत दरों का कोई विभागीय औचित्य तैयार नहीं किया गया, परिणामस्वरूप इन दरों के सही होने की पुष्टि नहीं हो सकी। बिल की क्रम संख्या 1 व 12 मद को छोड़कर शेष सभी मदें, प्राक्कलन में शामिल थी तथा अगर ठेकेदार से सीधे तौर पर दरें आमन्त्रित की होती तो इन मदों की दरें भी आमन्त्रित की जानी अपेक्षित थी। इस प्रकरण से प्रतीत होता है कि टैण्डर नोटिस हेतु नियमानुसार कार्यवाई न करना, ठेकेदार को लाभ पहुंचाना था। यह प्रकरण विभागीय जाँच हेतु उच्च अधिकारियों के ध्यान में लाया जाता है। मानक दर पर भुगतान की गई प्रत्येक मद के विरूद्ध विभागीय औचित्य तैयार किया जाए या इस सम्बन्ध में लोक निर्माण विभाग से वह प्रमाणित करवाया जाए कि उस समय की प्रीमियम दरें इतनी ही थी तथा यदि अधिक दर पर भुगतान किया गया तो इसकी विभागीय गणना करके वसूली की जाए तथा अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्षाई जाए।

Øe l[;k	dk;l oxl dk uke	Lohd`r ihfe;e nj
1	प्लस्तर कार्य	51 प्रतिषत अधिक रेज मानक दर पर
2	वूडन कार्य	105 प्रतिषत अधिक रेज मानक दर पर
3	शेरी कार्य डौर/विंडो	45 प्रतिषत अधिक रेज मानक दर पर
4	एम0एम ग्रिल वर्कस	45 प्रतिषत अधिक रेज मानक दर पर
5	व्हाईट बॉस वर्कस	45 प्रतिषत अधिक रेज मानक दर पर
6	पेंट कार्य	55 प्रतिषत अधिक रेज मानक दर पर

7	ऑल सैनिटेषन कार्य	200 प्रतिषत अधिक रेज मानक दर पर
8	मार्वल चिप्स टाईल कार्य	75 प्रतिषत अधिक रेज मानक दर पर
9	इलैक्ट्रिकल कार्य (बी0ए स्वीच)	75 प्रति प्वाईंट
10	16 ए स्वीच	85 प्रति प्वाईंट
11	एम0सी0वी0 सर्कट	195 प्रति प्वाईंट
12	मेन स्वीच	295 प्रति प्वाईंट

¼3½ vkcVu i= d fcuk dk;l dk fu"iknu ¼&

इस निर्माण कार्य हेतु कोई आबंटन पत्र जारी नहीं किया गया, जिसके अभाव में शर्तों की पुष्टि नहीं की जा सकी तथा इसके समय पर पूर्ण होने की पुष्टि भी नहीं हो सकी। बिना आबंटन पत्र के निर्माण कार्य का निष्पादन नियमों के दृष्टिगत स्पष्ट किया जाए।

¼x½ fuEu jkf'k;k iR;d d vkx n'kk;s x, fuek.k dk;ks ij 0;; dh xbA iMrky dju ij uhp nh xbl vfu;ferrk,i ikbl xbl ¼&

ekl	okÅpj l[;k	jkf'k	fuek.k dk;l dk uke	Bdnkj dk uke
3/2009	60	1,99,890.00	C/o Drain by laying R.C.C Pipe Jambo Nalla	शमषाद अली
3/2009	60	3,29,422.00	C/o Drain by laying R.C.C Pipe Jambo Nalla	शमषाद अली

¼1½ V.Mj ukfVl vkfn vd{k.k e miyC/k u djokuk ¼&

इन निर्माण कार्यों के विरूद्ध टैण्डर नोटिस, टैण्डर कार्य आबंटन पत्र, तकनीकी स्वीकृति अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं करवाये गए, आपेक्षित अभिलेख आगामी अंकेक्षण में दर्षाए जाएं।

¼2½ tkjh lheUV d leFkU e vfHkys[k vd{k.k e miyC/k u djokuk ¼&

इन निर्माण कार्यों के विरूद्ध 150 बोरी सीमेन्ट की ₹192.00 की दर से वसूली की गई, लेकिन यह सीमेन्ट कब जारी किया गया, कहां से जारी किया गया तथा जारी दर क्या निर्धारित

की गई थी, आदि का कोई ब्योरा अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया, परिणामस्वरूप इसकी पुष्टि नहीं हो सकी। उपरोक्त आपेक्षित ब्यौरा आगामी अंकेक्षण में दर्षाया जाए।

¼?k½ uxj ifj"kn d dk;{k= l ckgj fuek.k dk; ½&

मास 3/2009 के वाऊचर संख्या 60 द्वारा ₹1,99,890.00 की राशि C/o Drain by laying R.C.C pipe from Primary School towards Jambo Nalla के निर्माण कार्य पर व्यय की गई। यह निर्माण कार्य नगर परिषद क्षेत्र के बाहर था तथा यह राशि एस0एफ0सी0 के अनुदान में से व्यय की गई। यदि नाली की निकासी नगर परिषद के क्षेत्र से बाहर करनी थी तो जिस तरफ को निकासी करनी थी उस क्षेत्र की पंचायत से पूर्व में एन0ओ0सी0 ले लेना चाहिए था, ताकि सम्बन्धित पंचायत अपने क्षेत्र की निकासी की स्वयं व्यवस्था करती। नगर परिषद द्वारा अपने सीमा क्षेत्र से बाहर करवाए गए उपरोक्त कार्य का औचित्य प्रस्तुत किया जाए अन्यथा इसे एवं अन्य ऐसे ही प्रकरणों की विभागीय जाँच करके नगर परिषद निधि या अन्य अनुदानों से जो कि विषेष तौर पर इस उद्देष्य के लिए नहीं थे, व्यय की गई राशियों की सक्षम प्राधिकारी से कार्योत्तर स्वीकृति लेकर नियमित करवाया जाए। अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को सूचित किया जाए।

¼3½ foyEc dk; d fy, n.M oly u djuk ½&

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्न निर्माण कार्य निष्चित अवधि की अपेक्षा विलम्ब से पूर्ण किए गए। आबंटन पत्र की शर्तों के अनुसार यदि ठेकेदार निर्माण कार्य को निष्चित अवधि की अपेक्षा विलम्ब से पूरा करता है तो उससे विलम्ब कार्य के लिए प्रत्येक प्रकरण के आगे दर्षाई दर से विलम्ब दण्ड वसूल किया जाना अपेक्षित था। जोकि वसूल नहीं किया गया, जिसका औचित्य कार्य आबंटन पत्र की शर्तों के अनुसार दिया जाए अन्यथा प्रत्येक प्रकरण के आगे विलम्ब कार्य के लिए देय, विलम्ब दण्ड की कुल ₹1,24,928.00 की राशि सम्बन्धित से वसूल की जाए तथा अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्षाई जाए।

fnukd	ok0 l0	fuek.k dk; dh ykxr	fuek.k dk; dk uke	Bdnkj dk uke	dk; vkcVu dh frfFk	dk; lekfIr dh fuf'pr vof/k	dk; lekfIr dh frfFk	foyEc dk; grq n; tekuk	foyEc dk; grq dy n; tekuk
2/2008	13	176392	C/o Nallah in Balmiki Basti in W.No.5	शमषाद अली	14.2.07	3 माह	20.12.07	10% of cost	17639

2／2008	52	78719	M/o road near adarsh colony from H.o vijay sharma towards H.o. Sh. Inder Singh in W.No.3	जगजीत सिंह	14.2.07	3 मास	1.12.07	10% of cost	7872
2／2008	34	307023	Re/Co drain from shop of V.K hardware in W.No.6	शमषाद अली	14.2.07	3 मास	31.10.07	10% of cost	30702
2／2008	53	139617	C/o road in W.No. 11 from shiv khera degree college to H.o. Sh Shayam lal	रणजीत सिंह	14.2.07	3 मास	30.11.07	10% of cost	13962
3／2009	60	50992	Re C/o road from poonta nahan road to woder that in Banjoran distt in W.No.2	शमषाद अली	2.5.05	2 मास	29.8.06	10% of cost	5099
2／2010	54	193365	Re C/o road from P.W.D road to H/o Sh. kapoor in W.No.3	जगजीत सिंह	31.10.08	3 मास	31.12.09	10% of awarded Amount	14151
2／2010	54	196635	Re C/o Drain & Street hear the H.o. Sh. Raghubir in W.No.10	जगजीत सिंह	20.7.09	3 मास	12.1.10	10% of awarded Amount	21995
2／2010	55	34466	Re C/o Boundry wall in M.C road in W.No. 8	योगध्याल सिंह	27.2.09	3 मास	in progress	10% of awarded Amount	5108
2／2010	56	70583	Crossing Drain near the H.o. Sh. Sharma in W.No.3	रियात अली	23.9.07	3 मास	12-1-10	10% of awarded Amount	8400

₹12492
8

¼p½ tkjh lheasUV dk fo:) olwyh u djuk ¼&

सीमेन्ट भण्डार रजिस्टर के अवलोकन पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार प्रत्येक के आगे दर्षाए निर्माण कार्यों हेतु ठेकेदारों को सीमेन्ट जारी किया गया, लेकिन इसके विरूद्ध न तो कोई वसूली की गई तथा न ही यह सीमेन्ट वापिस किया गया। कार्याकारी अधिकारी नगर परिषद को इस प्रकरण की जाँच करने व तदानुसार अंकेक्षण को अवगत करवाने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 6, दिनांक 20.5.2010 द्वारा अनुरोध किया गया। लेकिन अंकेक्षण समाप्ति तक कोई प्रत्युत्तर न दिया गया। इन प्रकरणों की विभागीय जाँच की जाए तथा दोषी पाये जाने पर उचित स्त्रोत से इसकी वसूली करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्षाई जाए।

frfFk	jftLVj i"B la[;k	ek=k	Bsdsnkj dk uke	fuekZ.k dk;Z dk uke
30.11.07	90	10 बोरी	मनोज भारद्वाज	C/o E.O. Residance.
27.12.07	91	40 बोरी	शमषाद अली	C/o Street/CC. pavement from Kedarpur road to H.o. Sh Jai chand.
18.1.10	37	20 बोरी	जगजीत सिंह	C/o Road near the H.o. Sdar in W.No.4
8.8.07	82	20 बोरी	शमषाद अली	C/o Drain from shop of V.K Hardware 0x15 nallah in W.No.6

11 LVkWd ,oa LVksj

¼d½ fctyh dk lkeku o pwus dh [kir u djus ls ₹64]810-00 dh gkfu ¼&

बिजली व Consumable Sanitation Stock Register के अवलोकन करने पर पाया गया कि बिजली का सामान जिसका खरीद मूल्य ₹64,510.00 व चूना, जिसका खरीद मूल्य ₹300.00 था, को आगामी स्टॉक में योग नहीं किया गया। जबकि इस अवधि के बाद खरीदे गए सामान की खपत कर दी गई जिससे प्रतीत होता है कि इस सामान का कहीं दुरूपयोग किया गया था। इन प्रकरणों की विभागीय जाँच की जाए तथा दोषी पाये जाने पर इसकी कीमत दोषी से वसूल करके

अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए। उपरोक्त सामग्री का विवरण निम्न प्रकार से है:–

lkexh dk uke	fnukad o LVkd jftLVj i"B la[;k	lkexh dh ek=k o la[;k ftldk vkxkeh 'kh"k esa 'kkfey ugha fd;k x;k	lkexh dk dqy Ø; ewY;
चूना	26.3.09 पृष्ठ सं0 84	3 बैग	180.00
चूना	27.1.10 पृष्ठ सं0 84	2 बैग	120.00
		dqy jkf'k	₹300-00

<u>fcth lkexh dk fooj.k</u>

lkexh dk uke	fnukad o LVkd jftLVj i"B la[;k	lkexh dh ek=k o la[;k ftldk vkxkeh 'kh"k esa 'kkfey ugha fd;k x;k	lkexh dk dqy Ø; ewY; ¼₹½
टयूब स्टाटर	25.7.08 पृष्ठ सं0 184	11 नम्बर	62.00
एस0वी0एल0 चौक 250 वॉट	6.8.7 पृष्ठ सं0 26	9 नम्बर	8,606.00
एस0वी0एल0 चौक 150 वॉट	24.8.7 पृष्ठ सं0 159	5 नम्बर	3,038.00
इग्नेटर 150 वॉट	17.12.08 पृष्ठ सं0 32	32 नम्बर	3,296.00
एस0वी0एल0 फिकचर 70 वॉट	23.11.09 पृष्ठ सं0 195	3 नम्बर	5,514.00
एस0वी0एल0 चौक 70 वॉट	12.6.09 पृष्ठ सं0 62	81 नम्बर	38,728.00
पी0वी0सी0 तार	11.1.08 पृष्ठ सं0 85	1 बन्डल	3,527.00

6 mm			
पी0वी0सी तार 2.5 mm	25.4.08 पृष्ठ सं0 179	1 बन्डल	1,519.00
स्टील पोल कलेम्प 4'',6''	10.1.08 पृष्ठ सं0 95	22 नम्बर	220.00

dqy eY; ₹64]510-00

¼[k½ 64-5 fdoVy bi/ku ydMh] 23 cSx lheUV o fctyh lkeku dh LVkd e deh

ईंधन लकड़ी के स्टॉक रजिस्टर, सीमेन्ट स्टॉक रजिस्टर व बिजली स्टॉक रजिस्टर के अवलोकन पर पाया गया कि निम्न प्रकरणों में भण्डार में दर्षाया अन्तिम शेष अंकेक्षण गणना अनुसार अधिक बनता था, लेकिन भण्डार रजिस्टर में कम दर्षाया गया। परिणामस्वरूप प्रत्येक प्रकरण के आगे खरीद मात्रा भण्डार मे कम दर्षाई गई, जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए। अन्यथा कम दर्षाई गई मात्रा की कीमत सम्बन्धित से वसूल करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को सूचित किया जाए।

en dk uke	fnukd o LVkd jftLVj i"B la[;k	vkfjEHk d 'k"k	tkjh dh xbl ek=k	vfUre 'k"k tk fn[kk;k tkuk pkfg,	vfUre 'k"k tk n'kk;k x;k	deh@ LVkd
सोखता लकड़ी	10.06.09 पृ0सं0 35	300.82 किवंटल	5 किवंटल	295.82 किवंटल	285.82 किवंटल	10 किवंटल
सोखता लकड़ी	16.06.09 पृ0सं0 35	269.82 किवंटल	5 किवंटल	264.82 किवंटल	261.82 किवंटल	3 किवंटल
सोखता लकड़ी	14.01.10 पृ0सं0 39	127.97 किवंटल	5 किवंटल	122.97 किवंटल	120.97 किवंटल	2 किवंटल
सोखता लकड़ी	15.01.09 पृ0सं0 33	204.62 किवंटल	50 कि0ग्रा0	204.12 किवंटल	154.62 किवंटल	49.5 किवंटल

				dqy ek=k fdoVy esa		64-5
सीमेन्ट	07.07.08 पृ0सं0 11	507 बैग	30 बैग	477 बैग	470 बैग	7 बैग
सीमेन्ट	06.08.08 पृ0सं0 13	55	10	45	40	5
सीमेन्ट	05.05.09 पृ0सं0 26	561	5	556	555	1
सीमेन्ट	16.03.10 पृ0सं0 38	637	10	627	617	10
					dqy	23 cSx
बिजली सामग्री एस0वी0एल बल्ब 150 वॉट	01.11.07 पृ0सं0 144	59	5	54	53	1 नं0
सीमेन्ट पोल कलैम्प	09.06.08 पृ0सं0 102	61	4	57	51	6 नं0

¼x½ <u>225 fdoVy bZa/ku ydM+h dk cês [kkrs esa Mkyus ls ₹90]000-00 dh gkfu</u> ¼&

नगर परिषद द्वारा प्रस्ताव संख्या 15, दिनांक 31.01.09 द्वारा पारित किया गया कि नगर परिषद द्वारा अवधि 29.06.06 से 30.05.08 तक 2,963 किवंटल ईंधन लकड़ी खरीदी गई, में से 225 किवंटल लकडी उक्त प्रस्ताव द्वारा बट्टे खाते में डाल कर स्टॉक में से कम की गई। जबकि भण्डार रजिस्टर के अवलोकन पर पाया गया कि अवधि 29.6.06 से 30.05.08 के दौरान केवल 1035 किवंटल लकड़ी ही खरीदी गई जिसमें से 225 किवंटल लकड़ी बट्टे खाते में डाल दी गई। 1035 किवंटल लकड़ी में से 225 किवंटल लकड़ी बट्टे खाते में डालने का औचित्य स्पष्ट किया जाए

अन्यथा इसकी कीमत जो कि विक्रय मूल्य अनुसार ₹400.00 प्रति किवंटल की दर से ₹90,000.00 बनती है की वसूली सम्बन्धित से करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

¼?k½ bi/ku ydMh d foØ; l ₹2400 dh de olyh %&

नगर परिषद के प्रस्ताव संख्या 15, दिनांक 31.12.08 द्वारा ₹400.00 प्रति किवंटल की दर सोखता लकड़ी विक्रय हेतु निर्धारित की गई। निम्नलिखित प्रकरणों में लकड़ी के विक्रय के लिए या तो बिलकुल वसूली नहीं की गई या कम वसूली की गई। परिणामस्वरूप प्रत्येक प्रकरण के आगे कम वसूली की गई, जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए, अन्यथा कम वसूली की सम्बन्धित से वसूली करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को सूचित किया जाए।

fnukd	ftldk Hkth xbZ	nj	eY; tk iklr gkuk pkfg,	iklr jkf'k	de olyh
22.01.09	रैड क्रॉस सोसाईटी	400 / —	1600 / —	—	1600 / —
16.02.09	मनजीत सिंह	400 / —	2000 / —	1200 / —	800 / —
				de olyh	2400@&

¼³½ 40 ckjh lheUV dh deh %&

सीमेन्ट स्टॉक रजिस्टर के अवलोकन पर पाया गया कि दिनांक 19.11.08 को स्टॉक रजिस्टर मे सीमेन्ट के 536 बैग थे जिसमे से दिनांक 20.11.08 को 40 बैग निर्माण कार्य हेतु जारी किए गए तत्पष्चात 20.11.08 को स्टॉक में 496 बैग सीमेन्ट के बकाया शेष होने चाहिए थे जबकि स्टॉक में 436 बैग सीमेन्ट के दर्षाए गए। इस प्रकार स्टॉक में सीमेन्ट के 60 बैग कम पाए गए। उक्त कम 60 बैग सीमेन्ट में से दिनांक 29.11.08 को 20 बैग सीमेन्ट के स्टॉक मे जोड़ दिए गए, शेष 40 बैग सीमेन्ट का कोई ब्यौरा प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकरण की विभागीय जाँच करके दोषी पाए जाने पर इसकी बाजार भाव से वसूली की जाये, अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्षाई जाए।

12 okgu %&

¼d½ okgu ehVj jhfMax dh xyr x.kuk %&

नगर परिषद के पास एच0पी0–17–4209 टिप्पर है जो कूड़े ढोने के कार्य में उपयोग किया जाता है। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि वाहन की लॉग बुक में टिप्पर द्वारा यात्रा की दूरी अधिक दर्षाइ गई जबकि मीटर रीडिंग के अनुसार यह कम बनती थी। परिणामस्वरूप 55 कि0मी0 की यात्रा अधिक दर्षायी गई है जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए, अन्यथा इसे निजि यात्रा मानकर इसकी निर्धारित दर से वसूली की जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

fnukad	vkjfEHkd jhfMax fd0eh0	;k=k dh xbZ	ykWx cqd esa n'kkZbZ xbZ jhfMax	okLrfod fn[kkbZ tkus okyh jhfMax	dqy xyr jhfMax
25.02.08	135861	66	135974	135927	47 कि0मी0
23.3.10	158630	80	158718	158710	8 कि0मी0
				dqy nwjh	55 fd0eh0

¼[k½ 72 fd0eh0 fcuk rsy dh ;k=k %&

एच0पी0–17–4209 टिप्पर के लॉग बुक के अवलोकन करने पर पाया गया कि उक्त वाहन द्वारा दिनांक 01.02.10 को 72 कि0मी0 यात्रा की गई जबकि 31.01.10 को वाहन में तेल की मात्रा शून्य बताई गई जिससे यह प्रतीत होता है कि वास्तव में यह यात्रा की नहीं गई है। केवल यात्रा लॉग बुक में दर्षाई गई क्योंकि वाहन में बिना तेल के यात्रा सम्भव नही हैं। अतः उक्त यात्रा का औचित्य स्पष्ट किया जाए।

¼x½ okgu }kjk 6277 fd0eh0 Lohd`fr ds fcuk ;k=k %&

वाहन एच0पी0–17ए–3939 आल्टो कार की लॉग बुक के अवलोकन पर पाया गया कि उक्त वाहन से नगर परिषद के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा स्वीकृति के बिना 6,277 कि0मी0 यात्रा की गई। निदेषक शहरी विकास के पत्र संख्या यू0एल0बी0–एच(ए)–1/87–9239–9284, दिनांक 20.6.01 के अनुसार अवधि 20.6.01 से 14.09.07 तक नगर परिषद क्षेत्र से बाहर यात्रा हेतु निदेषक की स्वीकृति आवष्यक थी तथा निदेषालय द्वारा जारी अन्य पत्र संख्या U.D-H(C)– 10. 09.02, दिनांक 15.09.07 के अनुसार राज्य के बाहर यात्रा हेतु निदेषक शहरी विकास की स्वीकृति

आवष्यक थी परन्तु नगर परिषद द्वारा सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बिना निम्न विवरणानुसार 6277 कि0मी0 यात्रा की गई जिसका औचित्य उक्त पत्रों के दृष्टिगत स्पष्ट किया जाए, अन्यथा इनको निजि यात्रायें मानकर आऊटरन दर से सम्बन्धित से वसूली करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

fnukd	;k=k dk LFkku	;k=k dk mns';	dy vufpr ;k=k
10.4.07	पावंटा से षिमला व वापसी	निदेषक से चर्चा हेतु	385 कि0मी0
11.04.07	पावंटा से मण्डी	स्पष्ट नहीं	360 कि0मी0
12.04.07	मण्डी से पांवटा	स्पष्ट नहीं	340 कि0मी0
18.04.07	पांवटा से नाहन व वापसी	वी0पी0एल0 मिटिंग हेतु	100 कि0मी0
21.04.07	पावंटा से षिमला व वापसी	निदेषालय में मिटिंग	380 कि0मी0
07.05.07	पांवटा से नाहन व वापसी	जिलाधीश के साथ मिटिंग	100 कि0मी0
15.05.07	पांवटा से नाहन व वापसी	टी0सी0पी0 मे मिटिंग	100 कि0मी0
18.05.07	पावंटा से षिमला व वापसी	सचिवालय में कार्य	385 कि0मी0
24.05.07	पावंटा से षिमला व वापसी	स्पष्ट नहीं	650 कि0मी0
30.05.07	पावंटा से नाहन व वापसी	जिलाधीश के साथ मिटिंग	100 कि0मी0
06.06.07	पावंटा से नाहन व वापसी	सर्व शिक्षा कार्यालय में गवाही	100 कि0मी0
17.06.07	पावंटा से षिमला	पीटर ऑफ वर्कषाप	420 कि0मी0
19.06.07	षिमला लोकल व वापसी		

05.07.07 से 07.07.07	षिमला लोकल व वापसी	विवरण नहीं	400 कि0मी0
20.07.07	पावंटा से नाहन व वापसी	विवरण नहीं	100 कि0मी0
25.07.07	पावंटा से नाहन व वापसी	विवरण नहीं	105 कि0मी0
23.08.07 से 26.08.07	पावंटा से षिमला, षिमला लोकल व वापसी	तीन दिवसीय वर्कषाप हेतु	428 कि0मी0
05.09.07	पावंटा से नाहन व वापसी	जिलाधीश कार्यालय में मिटिंग	100 कि0मी0
12.09.07	पावंटा से नाहन व वापसी	टी0सी0पी0 कार्यालय मे मिटिंग	100 कि0मी0
13.02.08	पावंटा से नाहन व वापसी	विवरण नहीं	100 कि0मी0
15.03.09 से 18.03.09	पावंटा से षिमला, षिमला लोकल व वापसी	निदेषालय में ट्रेनिंग	444 कि0मी0
19.03.09	पावंटा से नाहन व वापसी	जिलाधीश कार्यालय में मिटिंग	105 कि0मी0
30.03.09	पावंटा से षिमला, व वापसी	विवरण नहीं	385 कि0मी0
05.02.2010	पांवटा से चण्डीगढ़ व वापसी	होली मेले के लिए सामान क्रय हेतु	275 कि0मी0
10.02.10	पावंटा से नाहन व वापसी	जिलाधीश कार्यालय में मिटिंग	105 कि0मी0
23.02.10	पावंटा से नाहन व वापसी	जिलाधीश कार्यालय में मिटिंग	105 कि0मी0
26.02.10	पावंटा से नाहन व वापसी	जिलाधीश कार्यालय में मिटिंग	105 कि0मी0
		d|y vfu;fer ;k=k	6277 fd0eh0

¼?k½ rsy dh [kir fu/kkZfjr u djuk ¾&

नगर परिषद के पास दो टिप्पर, एक ट्रैक्टर, एक आल्टो कार व दो थ्री व्हीलर थे। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि इनमे से किसी भी वाहन के तेल की खपत का निर्धारण नहीं किया गया, जबकि नियमानुसार प्रत्येक वाहन की औसत तेल खपत निर्धारित करवानी अपेक्षित थी तथा इसे अगले वर्ष या आगामी टैस्ट चैक तक जो भी पहले हो तक बनाये रखना अपेक्षित है। इन वाहनों की सक्षम प्राधिकारी से औसत तेल खपत का निर्धारण करवाया जाए तथा यदि औसत तेल खपत निर्धारित खपत से अधिक पाई जाए तो इसकी गणना विभागीय स्तर पर करके वसूली सम्बन्धित से करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

13 iSU'ku ¾&

¼d½ **Commuted Pension** dk vkns'k miyC/k u djokuk ¾&

अंकेक्षण अवधि में पाया गया कि श्री नन्द लाल की पैन्षन से ₹1200 की Commuted Pension की कटौती की जा रही थी जबकि इसके समर्थन में स्वीकृति पत्र जिसके द्वारा पैन्षन Commute की गई थी, अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं करवाई गई। परिणामस्वरूप इस कटौती की पुष्टि नहीं हो सकी। आपेक्षित स्वीकृति पत्र अब प्राप्त करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत किया जाए।

¼[k½ vUrfje jkgr dk ₹3492-00 dk vfu;fer Hkqxrku ¾&

श्री भागा राम को दिनांक 01.09.2008 को ₹3771.00 प्रतिमाह की दर से पैन्षन स्वीकृत की गई तथा इसमें दिनांक 01.11.2006 से देय 5 प्रतिषत अन्तरिम राहत शामिल थी जबकि इन्हें उपरोक्त पैन्षन पर 5 प्रतिषत अन्तरिम राहत का अतिरिक्त भुगतान किया गया परिणामस्वरूप अवधि 01.09.2008 से 31.08.2009 तक (5 प्रतिषत अन्तिरम राहत + 54 प्रतिषत मंहगाई राहत) ₹291.00 प्रतिमाह की दर से ₹3492.00 की राशि अधिक भुगतान की गई जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा अधिक भुगतान की उपरोक्त राशि सम्बन्धित से वसूल करके, अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्षाई जाए।

¼x½ d:.kkeyd dkj.kksa ls fu;qfDr ij ikfjokfjd iSU'ku ij egxkbZ jkgr@vUrfje jkgr dh QYkLo:i ₹1]87]736-00 dk vf/kd Hkqxrku ¾&

श्रीमति सरोज बाला को उनके पति श्री वीर सिंह की मृत्यु पर ₹2130.00 प्रति माह की दर से पारिवारिक पैन्षन स्वीकृत की गई तथा दिनांक 24.05.2009 से इसकी दर ₹1310.00 प्रति माह की दर निर्धारित की गई थी। श्री भागा राम को अपने पिता की मृत्यु उपरान्त करूणामूलक आधार पर दिनांक 01.04.2004 से नियमित नियुक्ति दी गई। हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या फिन(सी)(डी)(1)—2000, दिनांक 22.01.2000 के अनुसार करूणामूलक कारण से नियुक्ति के विरूद्ध पारिवारिक पैन्षन पर महंगाई राहत देय नहीं थी। श्री भागा राम पुत्र श्रीमति सरोज बाला को क्योंकि करूणामूलक आधार पर नियुक्ति प्रदान की गई थी। इस प्रकार श्रीमति सरोजबाला की पारिवारिक पैन्षन व अन्तरिम राहत/मंहगाई राहत देय नहीं थी जबकि इस पर उपरोक्त मंहगाई राहत/अन्तरिम राहत का अनुचित भुगतान किया गया। इसके अतिरिक्त दिंनाक 24.05.2009 से पारिवारिक पैन्षन ₹1310.00 प्रति मास की दर से भुगतान की जाती थी लेकिन यह ₹2130.00 की दर से भुगतान की जा रही है। परिणामस्वरूप निम्न विवरणानुसार दिनांक 01.04.2004 से 31.03.2010 तक ₹1,87,736.00 की राशि का अधिक भुगतान किया गया। कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद को इस प्रकरण की जाँच करने एवं तदानुसार अंकेक्षण को अवगत करवाने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 5, दिनांक 18.05.2010 द्वारा अनुरोध किया गया लेकिन अंकेक्षण समाप्ति तक इस अधियाचना का कोई प्रत्युत्तर प्रस्तुत न किया गया। अधिक भुगतान का औचित्य उक्त पत्र के दृष्टिगत स्पष्ट किया जाए अन्यथा यह अधिक भुगतान की गई राशि वसूल करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्षाई जाए।

<u>n; iU'ku</u> %&

01.04.2004 से 23.05.2009@2130 प्रतिमाह	1,31,510.00
24.05.2009 से 31.03.2010@1310 प्रतिमाह	13,438.00
	<u>1]44]948-00</u>
भुगतान 01.04.2004 से 31.03.2010 (विवरण अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट 'छ' पर)	3,32,684.00
vf/kd Hkqxrku ¼3]32]684&1]44]948½	1]87]736-00

¼?k½ श्री विनोद कुमार मितल को ₹1,22,164.00 की राशि मास 2/2010 में ग्रेच्यूटी के संषोधित दर के बकाये के फलस्वरूप भुगतान की गई, जिसमें निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई :—

¼1½ <u>l{ke izkf/kdkjh dh Lohd`fr ds fcuk xzsP;wVh dk Hkqxrku</u> %&

इस भुगतान के लिए सक्षम प्राधिकारी से आवष्यक स्वीकृति प्राप्त नही की गई जबकि ग्रेच्यूटी के भुगतान की स्वीकृति निदेषक शहरी विकास द्वारा प्रदान की जाती है। इस प्रकरण मे आपेक्षित स्वीकृति प्राप्त न करने का औचित स्पष्ट किया जाए अन्यथा आपेक्षित कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करके अन्य ऐसे प्रकरणों की भी विभागीय जाँच करके आपेक्षित स्वीकृति प्राप्त की जाए।

¼2½ ₹181-00 dk vf/kd Hkqxrku ¼&

अंकेक्षण में की गई गणना अनुसार देय राशि ₹1,21,983.00 बनती थी। परिणामस्वरूप ₹181 का अधिक भुगतान किया गया। अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्षाइ जाए।

¼3½ okLrfod ikfIr jlhn iLrqr u djuk ¼&

इस भुगतान के विरूद्ध वास्तविक प्राप्ति रसीद प्राप्त नहीं की गई जो कि अब प्राप्त करके आगामी अंकेक्षण में दर्षाई जाए।

¼³½ [kkyh inksa ds fo:) iSU'ku o xzsP;wVh 'ks;j dk gLrkUrj.k ¼&

अंकेक्षण अवधि में पाया गया कि खाली पदों के विरूद्ध पैन्षन व ग्रेच्यूटी शेयर क्रमशः 12 प्रतिषत व 5 प्रतिषत की दर से पैन्षन व ग्रेच्यूटी निधि में हसतान्तरित किया जा रहा था जबकि दिनांक 15.05.2003 के बाद की नियुक्ति पर पैन्षन नीति लागू नहीं है। अतः 15.05.2003 के बाद खाली पद भरे गए पदों के विरूद्ध उपरोक्त शेयर के हस्तान्तरण का औचित्य अनुदेषों के दृष्टिगत स्पष्ट किया जाए अन्यथा इसकी विभागीय गणना करके अधिक हस्तान्तरित की गई राशि, पैन्षन व ग्रेच्यूटी निधि से निकाल कर वापिस परिषद निधि में जमा करवाई जाए। अनुपालना से आगामी अंकेक्षण में दर्षाई जाए।

¼p½ lkof/k tek ;kstuk fuos'k dh ikl cqd miyC/k u djokuk ¼&

नगर परिषद द्वारा सामान्य भविष्य निधि से निम्न राशियां डाकघर सावधि जमा खाता में निवेश की गई तथा इसके विरूद्ध प्रत्येक के आगे दर्षाई राशियां ब्याज की प्राप्त दर्ज की गई लेकिन डाकघर सावधि जमा खाते की पास बुकें अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं करवाई गई, परिणामस्वरूप इनकी पुष्टि नहीं हो सकी। इनकी डाकघर से खाते की प्रति/विवरणी प्राप्त करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्षाई जाए।

fuos'k frfFk	jkf'k	[kkrk la[;k	ikIr C;kt	C;kt ikfIr frfFk
10.04.2003	15,00,000.00	590469	115695	10.04.2004
			115695	21.04.2005
			115695	18.04.2006
			115695	19.04.2007
			115709	11.04.2008
08.09.2003	5,00,000.00	590467	38565	14.09.2004
			38565	12.09.2005
			38565	08.09.2006
			38565	24.09.2007
			38565	09.09.2008

¼N½ C;kt dk **accrual** vk/kkj ij jksdM+ cgh esa bUnzkt %&

निम्नलिखित राशियां बैंक में निवेश की गई थी तथा इनके विरूद्ध बैंक द्वारा प्रत्येक के आगे ब्याज की accrual राशि दर्शाइ्र गई जबकि यह न तो वास्तव में प्राप्त हुई तथा न ही जमा हुई, बल्कि प्रमाण पत्र के द्वारा accrual दर्शाया गया तथा इसे रोकड़ बही में दर्ज कर दिया गया जबकि वास्तव में इनका कोई लेन–देन नहीं हुआ। इन्हें पावती से पूर्व रोकड़ बही में दर्ज करने का औचत्य स्पष्ट किया जाए तथा इन्हें वास्तविक प्राप्ति पर ही दर्ज किया जाए। अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

fuos'k dh frfFk	jlhn la[;k	fuos'k jkf'k	ifjiDork dh frfFk	**accrued** C;kt	ftl frfFk dks jksdM+ cgh esa fy;k x;k
25.09.2006	272678	21,00,000.00	25.09.2012	1,73,108.00	24.09.2007

				1,87,377.00	24.09.2008
				2,01,070.00	24.09.2009
				1,941.00	28.07.2009
26.09.2008	211470	15,00,000.00	26.08.2010	1,56,891.00	26.09.2009

14 vfxze %& अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई सूचना अनुसार जिसका विवरण अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट 'ग' पर दिया गया है, ₹42,45,804.00 की राशि दिनांक 31.03.2010 तक अग्रिमों के विरूद्ध समायोजन हेतु शेष थी। इतनी अधिक मात्रा में अग्रिमों का समायोजना न होना एक चिन्ता का विषय है जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा इनके समायोजन हेतु ठोस कार्यवाई करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्षाई जाए।

15 Lo.kZ t;Urh 'kgjh jkstxkj ;kstuk %&

¼d½ vfu;fer O;; %&

निम्न राशियां प्रत्येक के आगे दर्षाई मदों पर व्यय की गई थी जिसका इस योजना के अन्तर्गत कोई प्रावधान नहीं था। इस व्यय का औचित्य अनुदेषों के दृष्टिगत स्पष्ट किया जाए अन्यथा इसे सक्षम प्राधिकारी से कार्योत्तर स्वीकृति लेकर नियमित करवाया जाएं, अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्षाई जाए।

ekl	okÅpj la[;k	jkf'k	fooj.k
2/2008	26	4,680.00	श्रीमति पवना देवी सी0ओ0 का वेतन
2/2008	28	240.00	गैस्ट हाऊस के लिए रजाई कवर
2/2008	34	113 (470)	गैस्ट हाऊस के लिए परदे

¼[k½ निम्न प्रकरणों में वी0पी0एल0 परिवारों से सम्बन्धित लड़कियों को ब्यूटी पार्लर का प्रषिक्षण प्रदान करने पर व्यय किया गया, लेकिन इन प्रशिक्षणार्थियों के बी0पी0एल0 परिवारों से सम्बन्ध रखने के समर्थन में प्रमाण पत्र/तथ्य प्रस्तुत नहीं किए गए। परिणामस्वरूप इनकी पात्रता की पुष्टि

नहीं हो सकी। इसी प्रकार क्रम संख्या 5 व 6 से सम्बन्धित व्यक्तियों के प्रकरणों में अनुदान राशि प्रदान की गई लेकिन इनके बी0पी0एल0 प्रमाण पत्र भी उपलब्ध नहीं करवाए गए। अपेक्षित प्रमाण पत्र प्राप्त करके आगामी अंकेक्षण में दिखाए जाएं।

ekl	okÅpj l[;k	jkf'k	izf'k{k.kkfFk;ksa dk uke	izf'k{k.k nsus okys dk@vuqnku nsus okys dk uke
2/2008	29	5,000.00	स्नेहलता, अंजु देवी, रेखा देवी, कर्मलता, रेखा देवी 1. वाऊचर संख्या 33 के द्वारा प्रत्येक को ₹1000 छात्रावृति/स्टाई फंड प्रदान किया गया। (20.09.2007 से 19.12.07)	शैलजा शर्मा
2/2008	30	5,000.00	ममता, रीना, ज्योति, सरिता (वाऊचर संख्या 33 के द्वारा प्रत्येक को ₹1000 स्टाई फंड भी दिया गया।) प्रशिक्षण अवधि 20.09.07 से 19.012.07	सुमन
2/2008	31	5,000.00	ममता, सुदेश, चम्पा, ऊषा, रजनी (वाऊचर संख्या 33 के द्वारा प्रत्येक को ₹1000.00 स्टाई फंड भी दिया गया।) प्रशिक्षण अवधि 25.09.07 से 24.12.07	शकुला
2/2008	32	5,000.00	प्रवीणा, रचना, राखी, विद्या, पूजा (वाऊचर संख्या 33 के द्वारा प्रत्येक को ₹1000 स्टाई फंड भी दिया गया।) प्रशिक्षण अवधि 20.04.07 से 19.12.09	कुसम लता
2/2008	35	4,500.00		राम प्रसाद
		3,750.00		सुरजीत सिंह
2/2008	27	7,500.00		लायक राम

¼x½ <u>jkdM+ cgh dk xr 'ks"k esa ₹1]700-00 de nt+Z djuk</u> %&

पुरानी रोकड़ बही का अन्तिम शेष पृष्ठ संख्या 89 पर ₹8,77,514.00 था, लेकिन नई रोकड़ बही में माह 2/2008 में गत शेष ₹8,75,814.00 दर्षाया गया। परिणामस्वरूप ₹1,700.00 की राशि कम दर्षाई गई। सही स्थिति अब परिलक्षित करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाइ्र जाए।

¼?k½ jkdM cgh dk vuij{k.k u djuk %&

मास 2/2009 के बाद की रोकड़ बही नहीं लिखी गई जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा इसे अब पूर्ण करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत किया जाए।

16 y/k vkifÙk fooj.kh %& यह अलग से जारी नही की गई।

17 fu"d"k %& लेखाओं के रख–रखाव में सुधार व कड़े नियन्त्रण की आवष्यकता है।

उप निदेषक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेष षिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्या :– V(42)-Fin(L.A.D)-4/2007 to 3/10, दिनांक, षिमला–171009,

प्रतिलिपि निम्न को प्रेषित है :–

1. निदेषक शहरी विकास, हिमाचल प्रदेष षिमला–171002 को सूचनार्थ हेतु
2. कार्याकारी अधिकारी, नगर परिषद पावंटा साहिब, जिला सिरमौर (हिमाचल प्रदेष) को इस आषय के साथ प्रेषित की जाती है कि वे इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में वर्णित पैरों पर की गई कार्रवाई का सटिप्पण उतर इस विभाग को अतिषीघ्र भेंजें।
3. वरिष्ठ उप महालेखाकार(ले0 व ह0) हिमाचल प्रदेष षिमला–171003.

उप निदेषक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेष षिमला–171009.

¼vuqi dqekj½